दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

उद्घोषित : 13.07.2023

<u>ले.पे.अ. 247/2016</u>

टेलीफोनेक्टिबलगेट एल.एम. एरिक्सन (पब्लिक) ....अपीलार्थी

द्वारा: श्री सी.एस. वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री साया चौधरी कपूर, श्री आशुतोष कुमार, श्री विवेक रंजन तिवारी, श्री विनोद चौहान, सुश्री वृंदा बागरिया, श्री पलाश माहेश्वरी, श्री राधिका परेवा, श्री मुनेश शर्मा, श्री आनंद एस. पाठक, श्री शशांक गौतम, सुश्री श्रीमोयी देब, श्री रजत मौदगिल, श्री रविशेखर नायर, श्री साहिल खन्ना और श्री विनायक गोयल, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री बलबीर सिंह, अति.महा.सा. सह श्री अविनाश शर्मा, सुश्री मोनिका बेंजामिन, सुश्री अनु सुरा, सुश्री आकांक्षा कपूर और श्री सिद्धांत

चौधरी, सी.सी.आई के लिए अधिवक्तागण।

श्री जे. साई दीपक और श्री अविनाश के. शर्मा, प्र-2 (इंटेक्स) के लिए अधिवक्ता।

<u>ले.पे.अ. 150/2020</u>

मोनसैंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा: डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री सी.एम. लाल और श्री राज शेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्तागण सह श्री आदर्श रामानुजन, सुश्री बिटिका शर्मा, श्री अमन सेठी, श्री लक्ष्य कौशिक, श्री लव विरमानी, श्री एच.एस. संधू, सुश्री मानसी सूद, श्री स्कंद शेखर और श्री अरीब अमानुल्लाह, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एन. वेंकटरमण, अति.महा.सा. सह श्री समर बंसल, श्री माधव गुप्ता और श्री वेदांत कपूर, सी.सी.आई. के लिए अधिवक्तागण।

श्री रुचिर मिश्रा और श्री मुकेश कुमार तिवारी, भारत संघ के लिए अधिवक्तागण।

<u>ले.पे.अ. 550/2016</u>

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री बलबीर सिंह, अति.महा.सा. सह श्री अविनाश शर्मा, सुश्री मोनिका बेंजामिन, सुश्री अनु सुरा, सुश्री आकांक्षा कपूर और श्री सिद्धांत चौधरी, सी.सी.आई के लिए अधिवक्तागण।

बनाम

टेलीफोनेक्टिबलगेट एल.एम. एरिक्सन (पब्लिक) एवं अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री साया चौधरी कपूर, श्री आशुतोष कुमार, श्री विवेक रंजन तिवारी, श्री विनोद चौहान, सुश्री वृंदा बागरिया, श्री पलाश माहेश्वरी, श्री राधिका परेवा, श्री साजन शंकर प्रसाद, श्री मुनेश शर्मा, श्री स्वर्णिल दे, श्री शौर्य पांडे, श्री आनंद एस पाठक, श्री शशांक गौतम, सुश्री श्रीमोयी देब, श्री रजत मौदगिल, श्री रविशंकर नायर और श्री साहिल खन्ना, अधिवक्तागण।

<u>ले.पे.अ. 246/2016</u>

टेलीफोनेक्टिबलगेट एल.एम. एरिक्सन (पब्लिक) .... अपीलार्थी

द्वारा: श्री साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री साया चौधरी कपूर, श्री आशुतोष कुमार, श्री विवेक रंजन तिवारी, श्री विनोद चौहान, सुश्री वृंदा बागरिया, श्री पलाश माहेश्वरी, श्री राधिका परेवा, श्री मुनेश शर्मा, श्री आनंद एस पाठक, श्री शशांक गौतम, सुश्री श्रीमोयी देब, श्री रजत मौदगिल, श्री रविशंकर नायर, श्री साहिल खन्ना, सुश्री रक्षा अग्रवाल और श्री अभिषेक कक्कड़, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वाराः श्री बलबीर सिंह, अति.महा.सा. सह श्री अविनाश शर्मा, सुश्री मोनिका बेंजामिन, सुश्री अनु सुरा, सुश्री आकांक्षा कपूर और श्री सिद्धांत चौधरी, सी.सी.आई के लिए अधिवक्तागण।

रि.या. (सि.) 8379/2015

टेलीफोनेक्टिबलगेट एल.एम. एरिक्सन (पब्लिक) .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री साया चौधरी कपूर, श्री आशुतोष कुमार, श्री विवेक रंजन तिवारी, श्री विनोद चौहान, सुश्री वृंदा बागरिया, श्री पलाश माहेश्वरी, श्री राधिका परेवा, श्री मुनेश शर्मा, श्री आनंद एस पाठक, श्री शशांक गौतम, सुश्री श्रीमोयी देब, श्री रजत मौदगिल, श्री रविशेखर नायर, श्री साहिल खन्ना, सुश्री रक्षा अग्रवाल और श्री अभिषेक कक्कड़, अधिवक्तागण।

बनाम

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री बलबीर सिंह, अति.महा.सा. सह श्री अविनाश शर्मा, सुश्री मोनिका बेंजामिन, सुश्री अनु सुरा, सुश्री आकांक्षा कपूर और श्री सिद्धांत चौधरी, सी.सी.आई. के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री नजमी वज़ीरी

माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

निर्णय

न्या. नजमी वज़ीरी

1. ये चार अपीलें और एक रिट याचिका, जो अपने सार में, दूरगामी प्रभाव का एक सामान्य प्रश्न उठाती हैं - जब भारत में एक पेटेंट जारी किया जाता है, और पेटेंटधारी ऐसे अधिकारों का दावा करता है, तो क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("सीसीआई") प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ("प्रतिस्पर्धा अधिनियम") के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे पेटेंटधारी के कार्यों की जांच कर सकता है। अपीलों में से एक - ले.पे.अ./550/2016 स्वयं सीसीआई द्वारा दायर की गई है।

कार्यवाहियों के आक्षेप का आधार क्या है

2. ले.पे.अ. 246/2016 और ले.पे.अ. 247/2016 टेलीफोनेक्टिबलगेट एल.एम. एरिक्सन (पब्लिक) ("एरिक्सन") द्वारा दायर की गई हैं। इन दोनों ने दिनांक 30.3.2016 के एक सामान्य निर्णय ("2016 का निर्णय") पर आक्षेप किया है, जिसमें एरिक्सन द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं[1], एक सीसीआई और माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड ("माइक्रोमैक्स") के विरुद्ध, और दूसरी इंटेक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड ("इंटेक्स") के विरुद्ध, को

[1] रि.या.(सि.) 464/2014 और रि.या.(सि.) 1006/2014

खारिज कर दिया गया था। माइक्रोमैक्स और इंटेक्स ने अन्य बातों के अलावा शिकायत की थी कि एरिक्सन दूरसंचार के क्षेत्र में कुछ मानक आवश्यक पेटेंट ("एसईपी") को लाइसेंस देने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर रहा है जो निष्पक्ष, उचित या गैर-भेदभावपूर्ण नहीं हैं, और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और/या 4 का उल्लंघन है। 2016 के निर्णय में कहा गया कि माइक्रोमैक्स और इंटेक्स द्वारा दायर की गई जानकारी के आधार पर सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 या 4 के उल्लंघन के लिए एरिक्सन के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई विधिक वर्जन नहीं है।

3. सीसीआई द्वारा दायर ले.पे.अ. 550/2016 सीसीआई और बेस्ट आईटी वर्ल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("आईबॉल") के विरुद्ध एरिक्सन द्वारा दायर एक रिट याचिका[2] के दिनांक 14.12.2015 के निर्णय ("2015 निर्णय") पर आक्षेप करती है। 2015 के निर्णय में दर्ज किया गया कि चूंकि एरिक्सन और आईबॉल के बीच एक समझौता हुआ था, और आईबॉल अपनी जानकारी वापस लेना चाहता है, और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत सीसीआई द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को अभिखंडित करते हुए याचिका का निपटान करना चाहता है, हालांकि गुणागुण के आधार पर नहीं। इसने सीसीआई को प्रधानस्थिति के दुरुपयोग के लिए एरिक्सन के विरुद्ध स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने और किसी अन्य आपत्ति के अधीन, उसी चरण से जांच को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।

[2] रि.या.(सि.) 5604/2015

आईबॉल ने भी एरिक्सन के विरुद्ध माइक्रोमैक्स और इंटेक्स के जैसी ही दलीलें पेश की थीं।

4. ले.पे.अ. 150/2020 ("मोनसेंटो") द्वारा दायर की गई है। यह रि.या. (सि.) 1776/2016 में दिनांक 20.05.2020 ("2020 का निर्णय") के निर्णय पर प्रश्न उठाता है, जो मोनसेंटो द्वारा सीसीआई और विभिन्न मुखबिरों के विरुद्ध दायर किया गया था। 2020 के निर्णय ने 2016 के निर्णय पर काफी हद तक भरोसा किया और रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि सीसीआई को मुखबिरों द्वारा दायर की गई जानकारी के आधार पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 या 4 के कथित उल्लंघन के लिए मोनसेंटो के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई वर्जन नहीं है। मोनसेंटो के विरुद्ध मुखबिरों का तर्क, जैसा कि एरिक्सन के विरुद्ध था, यह था कि मोनसेंटो अत्यधिक स्वामिस्व ले रहा है और अपने पेटेंट को उचित रूप से उपलब्ध नहीं करा रहा है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और/या 4 का उल्लंघन है।

5. रि.या. (सि.) 8379/2015 भी, एरिक्सन द्वारा सीसीआई के विरुद्ध दायर की गई है। इस रिट याचिका में, एरिक्सन ने सीसीआई द्वारा जारी दिनांक 16.7.2015 और 14.8.2015 के पत्रों को चुनौती दी, जिसमें एरिक्सन के पत्रों को "सूचनाएं/समन" कहा गया है। यह माइक्रोमैक्स की जानकारी पर सीसीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई के अनुसरण में था कि एरिक्सन एसईपी

देने में निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण नहीं है, इस प्रकार प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और/या 4 का उल्लंघन करता है।

<u>पक्षकारगण द्वारा की गई प्रस्तुतियां</u>

6. विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर, वरिष्ठ अधिवक्तागण और पक्षकारगण की ओर से उपस्थित विभिन्न अधिवक्तागण द्वारा व्यापक प्रस्तुतियां दी गई हैं। पक्षकारगण ने अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ, और अधिकारियों के कई संकलनों के साथ-साथ सुविधा संकलन भी दाखिल किए हैं।

7. पेटेंटधारियों ने अपने वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री सी. एस. वैद्यनाथन, डॉ. ए.एम. सिंघवी, श्री नीरज किशन कौल और श्री साजन पूवैया और श्री आशुतोष कुमार, अधिवक्ता के माध्यम से तर्क दिया है कि 2016 का निर्णय और 2020 का निर्णय अनुरक्षणीय नहीं है, क्योंकि सीसीआई पेटेंटधारियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। वे मोटे तौर पर तर्क देते हैं:

> क) पेटेंट को लाइसेंस देना न तो विक्रय है और न ही वस्तुओं/सेवाओं का क्रय है क्योंकि केवल लाइसेंस या पेटेंट के उपयोग से, पेटेंट में कोई संपत्ति, अधिकार या शीर्षक अंतरित नहीं होता है। पेटेंट का लाइसेंस केवल उस कार्य को विधिक बनाता है जो अन्यथा विधिविरुद्ध होता[3]।

[3] एलन एंड हैनबरीस लिमिटेड बनाम जेनरिक्स (यू.के.) लिमिटेड अन्य [1986] आर.पी.सी. 203

ख) यदि वस्तुओं/सेवाओं का कोई विक्रय या क्रय नहीं होता है तो सीसीआई के पास पेटेंट के लाइसेंस देने के व्यवसाय की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 2(च)(ii) के अंतर्गत, सीसीआई केवल उस उपभोक्ता की शिकायतों पर गौर कर सकती है जो किसी सेवा को किराये पर लेता है या उसका लाभ उठाता है या यदि मामला किसी सेवा के प्रदर्शन से संबंधित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पेटेंट का लाइसेंस देना कोई सेवा नहीं है और न ही यह उपभोक्ता के लिए किसी कार्य का प्रदर्शन है। यह केवल पेटेंट धारक द्वारा लाइसेंसधारी के विरुद्ध अधिकारों को लागू नहीं करने का एक अनुबंध है।

ग) मुखबिरों ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 का अवलंब लिया लेकिन उक्त उपबंध केवल वस्तुओं/सेवाओं के विक्रय या क्रय से संबंधित है, जिसकी अभिव्यक्ति में लाइसेंस या पेटेंट शामिल नहीं है।

घ) पेटेंट अधिनियम, 1970 ("पेटेंट अधिनियम") की धारा 51(1) पेटेंटधारी द्वारा पेटेंट से निपटने के तीन तरीकों पर विचार करती है। जो पेटेंट का विक्रय, पट्टे और लाइसेंस हैं।

ङ) मुखबिरों की शिकायत अनिवार्य रूप से पेटेंट के लाइसेंसिंग और/या क्या यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी है, से संबंधित है। इसकी जांच करने की शक्ति पेटेंट अधिनियम की धारा 140(1)(iii)(ग) के साथ पठित धारा 84(7)(ग)

के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रक या सिविल न्यायालय के पास है, जिसमें पोर्टफोलियो लाइसेंसिंग और अनुचित दरों के आरोपों के लिए परिवादीगण के लिए उपचार उपलब्ध हैं। दरअसल, किसी भी अतिलंघन के वाद में बचाव पेटेंट अधिनियम की धारा 140(3) में प्रदान किया गया है। इससे पहले कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पेटेंट धारक ने अनुचित दरों की मांग करके अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है, उचित दरों का निर्धारण किया जाना चाहिए और यह सिविल न्यायालय द्वारा उनकी निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण ("एफआरएएनडी") दरों का निर्णय करके किया जाता है।

च) सीसीआई के पास दरें तय करने के लिए न तो शक्ति या मशीनरी है और न ही विशेषज्ञता। पेटेंट धारक द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्य के आरोपों का निर्धारण पेटेंट अधिनियम की धारा 84(6) और धारा 90(1)(ix) के अंतर्गत किया जाना है। इस संबंध में सीसीआई की कोई भूमिका नहीं है।

छ) एक बार पेटेंट अधिनियम के उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्य के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, तो सीसीआई के लिए इसमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सीसीआई का आक्षेपित आदेश विवेक का इस्तेमाल किए बिना दिया गया है क्योंकि यह 'प्रासंगिक बाजार' की जांच करना चाहता है। हालांकि, प्रासंगिक बाज़ार

तभी होगा जब वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय और क्रय होगा। इस मामले में, कोई विक्रय या क्रय नहीं है, बल्कि केवल एफआरएएनडी दरों का लाइसेंस है, इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि सीसीआई के आदेश को संधार्य नहीं रखा जा सकता है।

ज) सीसीआई यह बताए बिना पूछताछ शुरू करना चाहता है कि बाजार कैसे प्रभावित हुआ है। यह एक ऐसे मामले में केवल उम्मीद पर आधारित एक पूछताछ है जो इसके लिए अत्यधिक विस्तारित है और इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण वर्जित है।

झ) सीसीआई ने किसी भी सामग्री का प्रकटीकरण नहीं किया है और न ही ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत की गई है जिससे पता चले कि वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय या क्रय के लिए प्रासंगिक बाजार में विरूपण हुआ था। यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 12.11.2013 और 16.11.2014 के आक्षेपित आदेशों में सीसीआई के निष्कर्ष इंटेक्स के विरुद्ध दायर वाद में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों के विपरीत हैं।

ञ) वैकल्पिक रूप से और उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह तर्क दिया जाता है कि सीसीआई के पास पेटेंटधारियों के एफआरएएनडी आश्वासनों के आधार पर लाइसेंस जारी करने या स्वामिस्व तय करने की कोई शक्ति नहीं है। सीसीआई का अधिकार क्षेत्र, यदि कोई हो, केवल

अतिलंघन/प्रतिसंहरण की कार्यवाही पर विचार और निर्णय लेने के बाद ही शुरू हो सकता है।

ट) एरिक्सन के विरुद्ध जाने वाले मुखबिर बाज़ार से लगभग बाहर हो गए हैं, जबकि सैमसंग और शाओमी जैसी इकाइयों, जिन्होंने एरिक्सन द्वारा पेश किए गए एफआरएएनडी निबंधनों को स्वीकार कर लिया है, ने भारत में अपनी बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि की है। सीसीआई बनाम भारती एयरटेल, (2019) 2 एससीसी 521 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वे तर्क देते हैं कि दूरसंचार से संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला पहला प्राधिकरण टीआरएआई है और तब तक, सीसीआई अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है; और 2020 के निर्णय में भारती एयरटेल के निर्णय की गलत व्याख्या की गई है। वास्तव में, भारती एयरटेल ने 2016 के निर्णय का विवक्षित रूप से विरोध किया है।

ठ) सीसीआई एफआरएएनडी निबंधनों पर अनिवार्य लाइसेंस सहित लाइसेंस जारी करने के माध्यम से एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है जो पहले से ही सिविल न्यायालयों और पेटेंट नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ड) पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI में इस क्षेत्र को पूरी तरह से शामिल किया गया है और सीसीआई इन पहलुओं की जांच नहीं कर सकता है। पेटेंट अधिनियम की धारा 84(4) में युक्तिसंगत रूप से वहनीय

मूल्य अभिनिश्चित करने का प्रावधान है, जो नियंत्रक द्वारा किया जाना है। उक्त उपबंधों में प्रगणित विभिन्न कारकों के संदर्भ में क्या उचित है, इसका अभिनिश्चय किया जाना है। इनमें मौजूदा व्यापार या उद्योग, स्थापित और विकसित वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कारक शामिल हैं। उक्त उपबंधों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

ढ) एक बार जब पेटेंटधारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के संबंध में जांच की शक्ति नियंत्रक के पास निहित हो जाती है, तो ऐसे मामलों में सीसीआई द्वारा जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। निष्पक्ष और उचित दरों या प्रतिस्पर्धा-विरोधी या अपमानजनक व्यवहार की एक साथ या दूसरी जांच के लिए कोई अतिव्याप्ति नहीं है।

ण) यह दर्शाने का कोई विधायी आशय नहीं है कि पेटेंट अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन होगा।

त) यदि सीसीआई को मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह पेटेंटधारियों के अधिकारों को निरर्थक बना देगा। एफआरएएनडी के निबंधन सिविल न्यायालय द्वारा, या पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में नियंत्रक द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और इस हद तक, सीसीआई की शक्ति को आवश्यक रूप से सीमित माना जाना चाहिए।

थ) मुखबिरों के पास पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के साथ-साथ नियंत्रक के समक्ष भी पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं। कष्टप्रद मुकदमेबाजी शुरू करने के अतिरिक्त सीसीआई से संपर्क करने का कोई कारण नहीं है।

द) विधायी इतिहास से पता चलता है कि विधायिका का इरादा हमेशा यह रहा है कि पेटेंट अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं और पेटेंट अधिकारों के दुरुपयोग को नियंत्रित करे।

ध) एफआरएएनडी आश्वासनों और दायित्वों के उल्लंघन से संबंधित मामले सीसीआई द्वारा विचार किए जाने में सक्षम नहीं हैं। यह विशुद्ध रूप से पेटेंटधारी, लाइसेंसधारी और मानक निर्धारण संगठन के बीच का संविदात्मक विवाद है।

न) यदि किसी मामले में न्यायालय स्वामिस्व दर को उचित या एफआरएएनडी दर के रूप में निर्धारित करता है, तो सीसीआई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कानूनी परिदृश्य और विधिक स्थलाकृति होने के कारण, सीसीआई को ऐसी शक्ति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है क्योंकि किसी न्यायालय ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है।

प) जो प्रश्नगत है वह संसद की पेटेंट अधिनियम या प्रतिस्पर्धा अधिनियम को अधिनियमित करने की सक्षमता नहीं है, बल्कि वह

विधायी आशय है जिसके आधार पर कोई प्राधिकरण पेटेंट और उसके दुरुपयोग से संबंधित उन गैर-प्रतिस्पर्धा प्रथाओं के मुद्दों के संबंध में जांच करने की शक्ति रखता है जिसकी कसौटी सारांश का सिद्धांत या पहलू का सिद्धांत नहीं है, बल्कि विधायी अर्थान्वयन का सिद्धांत है।

फ) 2016 के निर्णय ने दो कानूनों के मूल्यांकन में प्रतिकूलता और संघर्ष की कसौटी को गलत तरीके से लागू किया है, जबकि इसका ध्यान एक उपयुक्त अधिकार क्षेत्र की उपलब्धता में दूसरे कानूनी निकाय के अधिकार क्षेत्र को हटाने पर होना चाहिए था, अर्थात, चूंकि पेटेंट अधिनियम के पास पेटेंटधारी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी और अपमानजनक आचरण के लिए राहत प्रदान करने का प्रावधान है, इसलिए इस संबंध में सीसीआई का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है।

8. इसके अतिरिक्त, मोनसेंटो की ओर से उपस्थित डॉ. सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि मोनसेंटो के विरुद्ध मामले और एरिक्सन के विरुद्ध मामले में महत्वपूर्ण अंतर हैं, यह देखते हुए कि मोनसेंटो एसईपी के साथ काम नहीं कर रहा था और न ही मोनसेंटो पर कोई एफआरएएनडी दायित्व हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मोनसेंटो के विरुद्ध सभी आरोप पूरी तरह से पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रकार सीसीआई किसी भी हद तक मोनसेंटो पर अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता है।

9. सीसीआई ने विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर श्री एन. वेंकटरमन और श्री बलबीर सिंह के साथ-साथ श्री समर बंसल अधिवक्ता के माध्यम से 2016 के निर्णय और 2020 के निर्णय का बचाव किया और तर्क दिया कि सीसीआई द्वारा जांच की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर विधि में कोई वर्जन नहीं है, विशेष रूप से तब, जब जांच इतनी प्रारंभिक अवस्था में हो। उन्होंने, मुखबिरों द्वारा समर्थित, मोटे तौर पर तर्क दिया:

क) पहलू सिद्धांत के आधार पर, यह स्पष्ट है कि पेटेंट अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बीच मात्र अतिव्यापि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत सीसीआई के पास निहित शक्ति को कम नहीं करती है।

ख) सीसीआई अधिनियम को किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जो पेटेंटधारी के प्रतिस्पर्धा-विरोधी और अपमानजनक व्यवहार से प्रभावित है, और ऐसी स्थिति में सीसीआई का निर्णय पूरे बाजार में सभी पर लागू होगा, जबकि पेटेंट अधिनियम का दायरा पेटेंट के लाइसेंसधारी की सहायता करने तक ही सीमित है, और इससे अधिक कुछ नहीं। इस प्रकार, यह आम जनता और पूरे देश के हित में है कि सीसीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए।

ग) पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत तंत्र नियंत्रक को पेटेंटधारियों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी या अपमानजनक व्यवहार के आरोपों की प्रभावी ढंग से

जांच करने में सक्षम बनाने के लिए अपर्याप्त है। यह एक ऐसी प्रथा है जिस पर केवल सीसीआई ही प्रभावी ढंग से विचार कर सकता है।

घ) विधायी इतिहास विधायिका के आशय को प्रदर्शित करता है, कि सीसीआई के पास पेटेंटधारियों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी और अपमानजनक व्यवहार के आरोपों की जांच करने की शक्ति होनी चाहिए।

ङ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, धारा 60 द्वारा, किसी भी अन्य कानूनी प्राधिकरण/न्यायालय के समक्ष प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रधानस्थिति के दुरुपयोग के विवादों को उठाने पर प्रतिषेध लगाता है।

च) *भारती एयरटेल (पूर्वोक्त)* वर्तमान मामलों में अनुपयुक्त है। नियंत्रक किसी उद्योग का नियामक नहीं है और इस प्रकार *भारती एयरटेल (पूर्वोक्त)* इन मामलों में मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं होगा।

छ) सीसीआई बाजार का नियामक है, जबकि पेटेंट नियंत्रक एक नियामक नहीं है बल्कि पेटेंट अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक प्राधिकरण मात्र है। इस प्रकार, *भारती एयरटेल (पूर्वोक्त)* के निर्णय को लागू करके भी, सीसीआई एकमात्र प्राधिकरण है जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और पेटेंटधारियों द्वारा प्रधानस्थिति के दुरुपयोग के प्रश्नों पर गौर कर सकता है। पेटेंट अधिनियम की धारा 84(6) विधायी आशय को

प्रदर्शित करती है कि नियंत्रक सीसीआई द्वारा प्रश्न निर्धारित होने के बाद ही प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के आरोपों पर गौर कर सकता है।

ज) मुखबिरों द्वारा प्रथम दृष्टया प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि पेटेंटधारी अपनी प्रधानस्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं और लाइसेंसधारियों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर नियंत्रक विचार कर सकता है।

झ) पेटेंटधारियों के साथ मुखबिरों के बीच निजी समझौता पेटेंटधारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी और अपमानजनक व्यवहार की जांच करने के सीसीआई के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं कर सकता है।

10. हालांकि हमने पक्षकारगण द्वारा किए गए व्यापक प्रस्तुतीकरण पर अपना विवेक इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने उन पर अपने विचारों के साथ इस निर्णय पर बोझ डालने से बचना चुना है। हमें लगता है कि उन विवादों पर अपने विचार व्यक्त करना उपयुक्त होगा जो इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक हैं जो मामलों के प्रति सकारात्मक नहीं होंगे, विशेष रूप से उस अंतिम निष्कर्ष के आलोक में जिस पर हम इन मामलों में पहुंच रहे हैं। अन्य मुद्दे, हालांकि विवादास्पद हैं, हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उसे देखते हुए प्रासंगिक नहीं हैं।

11. हमारी राय में, रि.या. (सि.) 464/2014, 1006/2014, 1776/2016 एवं 8379/2015 को विधि में इस निष्कर्ष पर अनुमति दी जानी चाहिए कि सीसीआई किसी उद्यम के कार्यों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है जो पेटेंटधारी के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर नीचे चर्चा की जा रही है।

<u>निःशुल्क प्रतिस्पर्धा और पेटेंट</u>

12. इस न्यायालय के समक्ष पेटेंटधारियों, अर्थात् एरिक्सन और मोनसेंटो का तर्क यह है कि पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत पेटेंटधारी के अपने अधिकारों के प्रयोग को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत सीसीआई द्वारा अभिभावी नहीं किया जा सकता है।

13. वे प्रस्तुत करते हैं कि एक पेटेंटधारी के रूप में, पेटेंट अधिनियम उन्हें तीसरे पक्ष को उनकी प्रक्रिया या उत्पाद का उपयोग करने से रोकने का विशेष अधिकार देता है। उनका तर्क है कि पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI में स्वयं प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रधानस्थिति के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपबंध उपलब्ध हैं।

14. उन्हें सीसीआई द्वारा स्वामिस्व वसूलने की दर या लाइसेंस देने के लिए लगाई गई शर्तों के प्रश्नों पर आपत्ति है। उनका तर्क है कि ऐसी शक्ति न केवल प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5(i)(ख) के स्पष्ट प्रावधानों और प्रतिस्पर्धा

अधिनियम की योजना द्वारा अभिनिषिद्ध है, बल्कि पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI के अंतर्गत नियंत्रक की शक्तियों पर भी प्रभाव डालती है, जो अनुरक्षणीय नहीं है।

15. उनका तर्क है कि जहां तक पेटेंट के उपयोग और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का प्रश्न है, पेटेंट अधिनियम का अध्याय XVI अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी स्थिति में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के साथ पेटेंट अधिनियम की तुलना करने पर विधायी आशय यह है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम को पेटेंट के विषयों पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

16. मुखबिरों द्वारा समर्थित सीसीआई इसके विपरीत तर्क देता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 62 का संदर्भ लेते हुए, यह तर्क दिया गया है कि सीसीआई पेटेंट और उनका क्रियान्वयन करने से संबंधित मुद्दों पर विशेष शक्ति का दावा नहीं कर रहा है। इसका तर्क है कि सीसीआई की स्थापना देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए की गई है, और इसे इस विषय पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता है कि क्या पेटेंट के क्रियान्वयन से बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी।

17. सीसीआई का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जहां तक प्रतिस्पर्धा का संबंध है, प्रतिस्पर्धा एक विशेष अधिनियम है; लेकिन प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 62 के लिए, प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रधानस्थिति के

दुरुपयोग के प्रश्नों पर, प्रतिस्पर्धा अधिनियम पेटेंट अधिनियम पर अभिभावी होगा। चूंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 62 अन्य अधिनियमितियों की रक्षा करती है, और सीसीआई द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक को अपनी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने से नहीं रोकेगी।

<u>दो विधियों के प्रासंगिक उपबंध</u>

18. पेटेंट अधिनियम के प्रासंगिक उपबंध, जिन पर विचार किया जाना है, वे निम्नलिखित हैं:

> *"**48. पेटेंटधारियों के अधिकार:** इस अधिनियम में निहित अन्य उपबंधों और धारा 47 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया पेटेंट पेटेंटधारी को निम्न अनन्य प्रदत्त करेगा:*
>
> *(क) जहां पेटेंट किसी वस्तु एक उत्पाद के लिए है, तो वहां तीसरे पक्ष को, जिनके पास उसकी सहमति नहीं है, भारत में उस उत्पाद को बनाने, उपयोग करने, विक्रय के लिए पेश करने, बेचने या उन उद्देश्यों के लिए आयात करने से रोकने का अनन्य अधिकार;*
>
> *(ख) जहां पेटेंट किसी प्रक्रिया के लिए है, तो तीसरे पक्षों को, जिनके पास उसकी सहमति नहीं है, उस प्रक्रिया का उपयोग करने के कार्य से, और भारत में उस प्रक्रिया द्वारा सीधे प्राप्त उत्पाद का उपयोग करने, विक्रय के लिए पेश करने, बेचने या आयात करने के कार्य से रोकने का अनन्य अधिकार।*
>
> *XXX XXX XXX*

83. पेटेंट किए गए आविष्कारों के क्रियान्वयन के लिए लागू सामान्य सिद्धांत:

इस अधिनियम में निहित अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अध्याय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित सामान्य बातों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात:

(क) पेटेंट, आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं कि आविष्कार भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर और पूर्णतम मात्रा में क्रियान्वित किए जाए जो असम्यक् विलंब के बिना युक्तियुक्त तौर पर व्यावहारिक हों;

(ख) वे केवल पेटेंटधारियों को पेटेंट की गई वस्तु के आयात के लिए एकाधिकार का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए नहीं दिए जाते;

(ग) पेटेंट अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के अंतरण और प्रसार, तकनीकी ज्ञान के उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के पारस्परिक लाभ और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए अनुकूल तरीके से और अधिकारों और दायित्वों के संतुलन में योगदान देता है;

(घ) दिए गए पेटेंट सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा में अड़चन नहीं डालते हैं और उन्हें विशेष रूप से भारत के सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए;

(ङ) दिए गए पेटेंट किसी भी तरह से केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने से नहीं रोकते हैं;

(च) पेटेंट अधिकार का दुरुपयोग पेटेंटधारी या पेटेंटधारी से पेटेंट पर शीर्षक या हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, और पेटेंटधारी या पेटेंटधारी से पेटेंट पर शीर्षक या हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन प्रथाओं का सहारा नहीं लेता है जो अनुचित रूप से व्यापार को रोकते हैं या प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय अंतरण प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; और

(छ) पेटेंट किए गए आविष्कार का लाभ जनता को उचित वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए पेटेंट दिए जाते हैं।

XXX XXX XXX

84. अनिवार्य लाइसेंस:

...

(4) नियंत्रक, यदि संतुष्ट है कि पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेंट किए गए आविष्कार भारत के क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किए गए हैं या पेटेंट किए गए आविष्कार जनता के लिए उचित वहनीय मूल्य पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वह ऐसी शर्तों पर लाइसेंस दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

85. क्रियान्वयन न होने के कारण नियंत्रक द्वारा पेटेंट का प्रतिसंहरण करना:

(1) जहां, पेटेंट के संबंध में, एक अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया गया है, वहां केंद्र सरकार या कोई भी इच्छुक व्यक्ति, पहला अनिवार्य लाइसेंस देने के आदेश की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस आधार पर पेटेंट को प्रतिसंहृत करने के आदेश के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकता है

कि पेटेंट किए गए आविष्कार का क्रियान्वयन भारत के क्षेत्र में नहीं किया गया है या पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेंट किया गया आविष्कार जनता के लिए उचित वहनीय मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन में ऐसे विवरण होंगे जो निर्धारित किए जाए, वे तथ्य जिन पर आवेदन आधारित है, और केंद्र सरकार के अलावा किसी अन्य आवेदन के मामले में, आवेदक के हित की प्रकृति भी निर्धारित की जाएगी।

(3) यदि नियंत्रक इस बात से संतुष्ट है कि पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है या पेटेंट किए गए आविष्कार को भारत के क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया गया है या पेटेंट किए गए आविष्कार जनता के लिए उचित वहनीय मूल्य पर उपलब्ध नहीं हैं, तो वह पेटेंट के प्रतिसंहरण का आदेश दे सकता है।

(4) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन पर आम तौर पर नियंत्रक को प्रस्तुत किए जाने के एक वर्ष के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

87. धारा 84 और 85 के अंतर्गत आवेदनों से निपटने की प्रक्रिया:

(1) जहां नियंत्रक, धारा 84, या धारा 85 के अंतर्गत एक आवेदन पर विचार करने पर इस बात से संतुष्ट है कि आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, वह आवेदक को पेटेंटधारी और रजिस्टर से प्रकट होने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति, जो उस पेटेंट में रुचि रखता है

जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, को आवेदन की प्रतियां देने [और आवेदन को आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित करने] का निर्देश देगा।

(2) पेटेंटधारी या कोई अन्य व्यक्ति जो आवेदन का विरोध करना चाहता है, वह निर्धारित समय के भीतर या आवेदन (निर्धारित समय की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया गया) पर नियंत्रक द्वारा अनुमति दिए जाने वाले अतिरिक्त समय के भीतर नियंत्रक को विरोध का नोटिस दे सकता है।

(3) विरोध के ऐसे किसी भी नोटिस में उन आधारों को बताने वाला एक बयान शामिल होगा जिन पर आवेदन का विरोध किया जाता है।

(4) जहां विरोध का ऐसा कोई नोटिस विधिवत दिया जाता है, तो नियंत्रक आवेदक को सूचित करेगा, और मामले पर निर्णय लेने से पहले आवेदक और प्रतिद्वंद्वी को सुनवाई का अवसर देगा।

88. अनिवार्य लाइसेंस देने में नियंत्रक की शक्तियां:

(1) जहां नियंत्रक धारा 84 के अंतर्गत किए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि पेटेंट द्वारा संरक्षित नहीं की गई सामग्रियों के निर्माण, उपयोग या विक्रय पेटेंट के अंतर्गत लाइसेंस के अनुदान पर, या पेटेंट की गई वस्तु या प्रक्रिया के क्रय, किराये पर लेने या उपयोग पर पेटेंटधारी द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वह उस धारा के उपबंधों के अधीन, आवेदक के ऐसे ग्राहकों और साथ ही आवेदक को भी पेटेंट के अंतर्गत लाइसेंस देने का आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझता है।

(2) जहां पेटेंट के अंतर्गत लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा धारा 84 के अंतर्गत आवेदन किया जाता है, नियंत्रक, यदि वह आवेदक को लाइसेंस देने का आदेश देता है, मौजूदा लाइसेंस को रद्द करने का आदेश देगा, या, यदि वह उचित समझता है, तो आवेदक को लाइसेंस देने का आदेश देने के बजाय, मौजूदा लाइसेंस में संशोधन करने का आदेश देगा।

(3) जहां एक ही पेटेंटधारी के पास दो या दो से अधिक पेटेंट हैं और अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदक यह स्थापित करता है कि जनता की उचित आवश्यकताएं केवल उक्त पेटेंट में से कुछ के संबंध में संतुष्ट नहीं हुई हैं, तो, यदि नियंत्रक इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक उन पेटेंटों के अंतर्गत उसे दिए गए लाइसेंस को पेटेंटधारी द्वारा रखे गए अन्य पेटेंटों का अतिलंघन किए बिना कुशलतापूर्वक या संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता है और यदि उन पेटेंटों में अन्य पेटेंटों के संबंध में काफी आर्थिक महत्व की महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति शामिल है, तो वह, आदेश द्वारा, अन्य पेटेंटों के संबंध में भी लाइसेंस देने का निर्देश देगा ताकि लाइसेंसधारी को उन पेटेंट या पेटेंटों को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया जा सके जिनके संबंध में धारा 84 के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है।

(4) जहां किसी लाइसेंस के निबंधन और शर्तें नियंत्रक द्वारा तय की गई हैं, वहां लाइसेंसधारी, बारह महीने से कम की अवधि के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर आविष्कार को क्रियान्वित करने के बाद किसी भी समय, नियंत्रक को निबंधनों और शर्तों के संशोधन के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि तय किए गए निबंधन और शर्तें मूल अपेक्षा से अधिक कठिन साबित हुए हैं और इसके

परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी हानि के अतिरिक्त आविष्कार को क्रियान्वित करने में असमर्थ है:

परंतु ऐसा कोई भी आवेदन दूसरी बार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

89. अनिवार्य लाइसेंस देने के लिए सामान्य प्रयोजन।

धारा 84 के अंतर्गत किए गए आवेदन पर नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित सामान्य प्रयोजनों को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा, अर्थात,—

(क) पेटेंट किए गए आविष्कारों को भारत के क्षेत्र में बिना किसी देरी के और उचित रूप से व्यवहार्य पूर्णतम मात्रा तक व्यावसायिक पैमाने पर क्रियान्वित किया जाता है;

(ख) पेटेंट के संरक्षण के अंतर्गत भारत के क्षेत्र में क्रियान्वित करने या आविष्कार विकसित करने वाले किसी भी व्यक्ति के हितों पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा।

90. अनिवार्य लाइसेंसों के निबंधन और शर्तें:

—(1) धारा 84 के अंतर्गत लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों को तय करने में, नियंत्रक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा–

(i) स्वामिस्व और अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, पेटेंटधारी या पेटेंट के लिए लाभकारी रूप से हकदार अन्य व्यक्ति के लिए आरक्षित है, तो आविष्कार की प्रकृति, आविष्कार करने या इसे विकसित करने और पेटेंट प्राप्त करने और इसे लागू रखने और अन्य प्रासंगिक कारकों में

पेटेंटधारक द्वारा किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए उचित है;

(ii) पेटेंट किए गए आविष्कार को उस व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाए जिसे लाइसेंस दिया गया है और उसे उचित लाभ हो;

(iii) पेटेंट की गई वस्तुएं जनता को उचित वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं;

(iv) दिया गया लाइसेंस एक गैर-विशिष्ट लाइसेंस है;

(v) लाइसेंसधारी का अधिकार गैर-समनुदेशीय है;

(vi) लाइसेंस पेटेंट की शेष अवधि के लिए है जब तक कि छोटी अवधि लोक हित के अनुरूप न हो;

(vii) लाइसेंस भारतीय बाजार में आपूर्ति के प्रमुख उद्देश्य से प्रदान किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो धारा 84 की उप-धारा (7) के खंड (क) के उप-खंड (iii) के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारी पेटेंट उत्पाद का निर्यात भी कर सकता है;

(viii) सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकी के मामले में, दिया गया लाइसेंस सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए आविष्कार को क्रियान्वित करने के लिए है;

(ix) यदि न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद प्रतिस्पर्धा-विरोधी होने के लिए निर्धारित किसी प्रथा का समाधान करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो जरूरत पड़ने पर लाइसेंसधारी को पेटेंट उत्पाद का निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) नियंत्रक द्वारा दिया गया कोई भी लाइसेंस लाइसेंसधारी को पेटेंट की गई वस्तु या पेटेंट प्रक्रिया द्वारा बनाई गई किसी वस्तु या पदार्थ को विदेश से आयात करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जहां ऐसा आयात, लेकिन ऐसे प्राधिकरण के लिए, पेटेंटधारक के अधिकारों का अतिलंघन होगा।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार, यदि उसकी राय में, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो किसी भी समय नियंत्रक को पेटेंट के संबंध में किसी भी लाइसेंसधारी को पेटेंट की गई वस्तु या पेटेंट प्रक्रिया द्वारा बनाई गई वस्तु या पदार्थ को विदेश से आयात करने के लिए अधिकृत करने का निर्देश देगी (ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह अन्य मामलों के साथ-साथ स्वामिस्व और पेटेंटधारक को देय अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आयात की मात्रा, आयातित वस्तु की विक्रय कीमत और आयात की अवधि से संबंधित लगाना आवश्यक समझती है), और उसके बाद नियंत्रक निर्देशों को प्रभावी करेगा।

XXX XXX XXX

92. केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं पर अनिवार्य लाइसेंस के लिए विशेष उपबंध:

(1) यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थितियों में या अत्यधिक अत्यावश्यकता की परिस्थितियों में या सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग के मामले में लागू किसी पेटेंट के संबंध में इस बात से संतुष्ट है कि यह आवश्यक है कि आविष्कार को क्रियान्वित करने के लिए सील लगाने के बाद किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने चाहिए, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आशय की घोषणा करेगी, और उसके बाद निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात, --

(i) नियंत्रक, किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा अधिसूचना के बाद किसी भी समय किए गए आवेदन पर, आवेदक को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पेटेंट के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करेगा जो वह उचित समझे;

(ii) इस धारा के अंतर्गत दिए गए लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों को निपटाने में, नियंत्रक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पेटेंट के अंतर्गत निर्मित वस्तुएं जनता के लिए सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध होंगी, जो पेटेंटधारियों को उनके पेटेंट अधिकारों से उचित लाभ प्राप्त करने के अनुरूप होगी।

(2) धारा 83, 87, 88, 89 और 90 के उपबंध इस धारा के अंतर्गत लाइसेंस देने के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 84 के अंतर्गत लाइसेंस देने के संबंध में लागू होते हैं।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियंत्रक उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन पर विचार करने पर संतुष्ट है कि यह निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक है--

(i) राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में; या

(ii) अत्यधिक तात्कालिकता की परिस्थिति में; या

(iii) सार्वजनिक गैर-वाणिज्यिक उपयोग के मामले में;

जो उत्पन्न हो सकती है या आवश्यक है, जैसा भी मामला हो, जिसमें अर्जित प्रतिरक्षा हीनता संलक्षण, मानव प्रतिरक्षा हीनता वायरस, यक्ष्मा, मलेरिया या अन्य महामारी से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट शामिल हैं, तो वह इस धारा के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए उस आवेदन के संबंध में धारा 87 में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया को लागू नहीं करेगा:

परंतु नियंत्रक, जितनी जल्दी हो सके, धारा 87 के ऐसे गैर-आवेदन के लिए आवेदन से संबंधित पेटेंट के बारे में पेटेंटधारी को सूचित करेगा।

XXX XXX XXX

140. कतिपय निर्बंधनात्मक शर्तों का परिवर्जन:

(1) (i) पेटेंट की गई वस्तु या पेटेंट की गई प्रक्रिया द्वारा निर्मित किसी वस्तु के विक्रय या पट्टे के लिए या उससे संबंधित किसी संविदा में; या

(ii) पेटेंट की गई वस्तु के विनिर्माण या उपयोग के लिए लाइसेंस में; या

(iii) पेटेंट द्वारा संरक्षित किसी प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए लाइसेंस में, कोई ऐसी शर्त सम्मिलित करना विधिपूर्ण नहीं होगा, जिसका प्रभाव--

(क) पेटेंट की गई वस्तु से भिन्न कोई वस्तु या पेटेंट की गई प्रक्रिया से निर्मित वस्तु से भिन्न कोई वस्तु विक्रेता, पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक, या उसके नामनिर्देशितियों से अर्जित करने की क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारीसे अपेक्षा करने का या अर्जित करने से उसे प्रतिषिद्ध करने का किसी व्यक्ति से अर्जित करने के उसके अधिकार को किसी रीति से या किसी विस्तार तक निर्बंधित करने अथवा विक्रेता, पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक, या उसके नामनिर्देशितियों से अर्जित करने सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से अर्जित करने से उसे प्रतिषिद्ध करने का हो; अथवा

(ख) पेटेंट की गई वस्तु से भिन्न किसी वस्तु का या पेटेंट की गई प्रक्रिया द्वारा निर्मित वस्तु से भिन्न किसी वस्तु का, जिसका प्रदाय विक्रेता, पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक, या उसके नामनिर्देशिती द्वारा नहीं किया गया है, उपयोग करने से क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को प्रतिषिद्ध करने का या क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी के उसका उपयोग करने के

अधिकार को किसी रीति से या किसी विस्तार तक निर्बंधित करने का हो; अथवा

(ग) पेटेंट की गई प्रक्रिया से भिन्न किसी प्रक्रिया का उपयोग करने से क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को प्रतिषिद्ध करने का या क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी के उसका उपयोग करने के अधिकार को किसी रीति से या किसी विस्तार तक निर्बंधित करने का हो,

[(घ) विशेष अनुदान वापस प्रदान करना, पेटेंट की वैधता और प्रपीड़क पैकेज लाइसेंसिंग की चुनौतियों की रोकथाम करना]

तथा कोई भी ऐसी शर्त शून्य होगी।

(2) उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की शर्त उस उपधारा के अंतर्गत आने वाली शर्त के रूप में केवल इस तथ्य के कारण समाप्त नहीं हो जाएगी कि उसको अंतर्विष्ट करने वाला करार अलग से किया गया है भले ही यह पेटेंट की गई वस्तु या प्रक्रिया के विक्रय, पट्टे या लाइसेंस से संबंधित संविदा के पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

(3) पेटेंट के अतिलंघन के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाहियों में, यह साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि ऐसे अतिलंघन के समय पेटेंट से संबंधित और इस धारा द्वारा विधिविरुद्ध घोषित शर्त को अंतर्विष्ट करने वाली संविदा प्रवृत्त थी:

परंतु यदि वादी संविदा का पक्षकार नहीं है और वह न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि निर्बंधनात्मक शर्त संविदा में उसके अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान और सहमति के बिना सम्मिलित की गई थी तो यह उपधारा लागू नहीं होगी।

(4) इस धारा की कोई भी बात--

(क) संविदा की ऐसी शर्त पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के माल से भिन्न माल का विक्रय करने से प्रतिषिद्ध किया जाता है;

(ख) ऐसी संविदा को विधिमान्य नहीं बनाएगी जो, यदि यह धारा न होती तो, अविधिमान्य होती;

(ग) पेटेंट की गई वस्तु के पट्टे की संविदा में या उसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस में की ऐसी शर्त पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसके द्वारा पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक अपने लिए या अपने नामनिर्देशिती के लिए पेटेंट की गई वस्तु के ऐसे नए भागों के जिनकी अपेक्षा की जाए, प्रदाय करने के या उसकी मरम्मत करने या बनाए रखने के, अधिकार को आरक्षित रखता है।

19. *प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रासंगिक उपबंध निम्नानुसार हैं:*

धारा 2

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

...

(ख) "करार" के अंतर्गत, कोई ठहराव या समझौता या कार्रवाई सम्मिलित है, --

(i) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई औपचारिक या लिखित में हो, या न हो; अथवा

(ii) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तन के लिए आशयित हो या न हो;

1[2[(खक) "अपील अधिकरण" से धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है;]

...

(च) उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो-

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है, और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन ऐसे माल का क्रय करता है, भिन्न ऐसे माल का कोई उपयोक्ता भी है, जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है चाहे माल का उक्त क्रय पुनः विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या वैयक्तिक उपयोग के लिए हो;

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या प्राप्त करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या प्राप्त करता है, भिन्न ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है, जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, चाहे ऐसी सेवाओं को भाड़े पर लेना

या प्राप्त करना किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या वैयक्तिक उपयोग के लिए हो;

...

(ज) "उद्यम" से ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग अभिप्रेत है जो वस्तुओं या मालों के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने से संबंधित किसी क्रियाकलाप में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हामीदारी या संव्यहार के कारबार में या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों या समनुषंगियों के माध्यम से लगा हुआ है, या लगा रहा है, चाहे ऐसी इकाई या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर स्थित हो जहां उद्यम स्थित है या किसी भिन्न स्थान या भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हो, किंतु इसके अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं आता है जो सरकार के संप्रभु कृत्यों जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा, करेंसी, रक्षा तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप भी हैं, से संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण।--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, --

क) "क्रियाकलाप" के अन्तर्गत कोई वृत्ति या उपजीविका भी है;

(ख) वस्तु" के अन्तर्गत कोई नई वस्तु और "सेवा" के अन्तर्गत कोई नई सेवा भी है*;*

(ग) किसी उद्यम के संबंध में "इकाई" या "प्रभाग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) किसी वस्तु या माल के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण के लिए स्थापित कोई संयंत्र या कारखाना;

(ii) किसी सेवा की व्यवस्था के लिए स्थापित कोई शाखा या कार्यालय है;

धारा 3

प्रतिस्पर्धारोधी करार।

(1) कोई उद्यम या उद्यमों का संगम या व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम, ऐसे माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में कोई ऐसा करार नहीं करेगा जिससे भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लघंन में किया गया कोई करार शून्य होगा।

(3) ऐसे उद्यमों या उद्यमों के संगमों या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के संगमों के बीच या किसी व्यक्ति या उद्यम के बीच किया गया कोई ऐसा करार या किन्हीं उद्यमों के संगम या व्यक्तियों के संगम, जिसमें उत्पादक-संघ भी है, जो तद्रूप या समरूप माल के व्यापार या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यवहार या विनिश्चय, जो, --

(क) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय या विक्रय की कीमतों को अवधारित करता है;

(ख) उत्पादन, प्रदाय, बाजार, तकनीकी विकास, विनिधान या सेवाओं की व्यवस्था को परिसीमित या नियंत्रित करता है;

(ग) बाजार का भौगोलिक क्षेत्र या माल सेवाओं का प्रकार या बाजार में ग्राहकों की संख्या या इसी प्रकार से अन्य आबंटन द्वारा

बाजार या उत्पादन स्रोतों या सेवा की व्यवस्था में हिस्सेदारी करता है;

(घ) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जिसका परिणाम बोली में धांधली करना या बोली में दुरभिसंधि करना है,

तो यह उपधारणा की जाएगी कि इसका प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात संयुक्त उद्यमों के रूप में किए गए किसी करार को लागू नहीं होगी यदि ऐसे करार से किसी माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवाओं के प्रदान करने की दक्षता में वृद्धि होती है।

बशर्ते कि कोई उद्यम या उद्यमों का संघ या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ हालांकि समान या समान व्यापार में संलग्न नहीं है, उसे भी इस उप-धारा के अंतर्गत करार का भागीदार उपधारित किया जाएगा यदि वह ऐसे करार को आगे बढ़ाने में भाग लेता है या भाग लेने का इरादा रखता है।]

स्पष्टीकरण।-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "बोली में भाव बढ़ाना" से उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे उद्यमों या व्यक्तियों के, जो तद्रूप या समरूप माल के उत्पादन या व्यापार में या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बीच ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिनका प्रभाव बोली के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना या कम करना या बोली लगाने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या उसे प्रभावित करना हो।

(4) माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या कीमत के या उसके व्यवसाय के या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में, विभिन्न बाजारों में उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार, जिसके अंतर्गत, --

(क) इंतजाम करने में सहबद्धता;

(ख) अनन्य प्रदाय करार;

(ग) अनन्य वितरण करार;

(घ) संव्यवहार करने से इंकार;

(ङ) पुनः विक्रय कीमत का अनुरक्षण,

भी है, उपधारा (1) के उल्लंघन में करार तब होगा जब ऐसे करार से भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो।

4[परंतु इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी उद्यम और अंतिम उपभोक्ता के बीच किए गए करार पर लागू नहीं होगा।]

स्पष्टीकरण।--इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए--

5[(क) "इन्तजाम करने में सहबद्धता' के अंतर्गत कोई ऐसा करार भी है, जिसमें माल के किसी क्रेता से, ऐसे क्रय की शर्त के रूप में, कोई अन्य माल क्रय करने की अपेक्षा की गई हो;

(ख) "अनन्य प्रदाय करार" के अंतर्गत कोई ऐसा करार है जो किसी अन्य रीति से क्रेता को, उसके व्यापार के अनुक्रम में, विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के माल से भिन्न किसी माल का अर्जन करने या उसके साथ अन्यथा संव्यवहार करने से निर्बन्धित करता हो;]

(ग) "अनन्य वितरण करार" के अंतर्गत, कोई ऐसा करार भी है, जो किसी माल 6[या सेवाओं] के उत्पादन या प्रदाय को सीमित, निर्बन्धित या रोकने के लिए या माल 6[या सेवाओं] के व्ययन अथवा विक्रय के लिए किसी क्षेत्र या बाजार का आवंटन करने के लिए हो;

(घ) "संव्यवहार करने से इंकार के अंतर्गत", कोई ऐसा करार भी है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को, जिन्हें माल 6[या सेवाओं] का विक्रय किया जाता है या जिनसे माल 6[या सेवाओं] क्रय किया जाता है, किसी ढंग से निर्बन्धित किया जाता हो या निर्बन्धित करना संभाव्य हो,

(ङ) "पुनः विक्रय की कीमत का अनुरक्षण" 7[इसमें माल के विक्रय या सेवाएं प्रदान करने के किसी भी करार के मामले में, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध शामिल है] के अंतर्गत इस शर्त पर माल विक्रय करने का कोई करार भी है कि पुनः विक्रय पर क्रेता से प्रभारित की जाने वाली कीमत विक्रेता द्वारा अनुबद्ध कीमत होगी, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह कथित न किया गया हो कि उन कीमतों से कम कीमत प्रभारित की जा सकेगी।

(5) इस धारा की कोई बात,--

(i) किसी व्यक्ति के किसी अतिलंघन को, जो हुआ है या हो सकता है, अवरुद्ध करने या ऐसी युक्तियुक्त शर्तें अधिरोपित करने के जो,--

(क) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14);

(ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39);

(ग) व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47);

(घ) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48);

(ङ) डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16);

(च) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) के अधीन प्रदत्त किसी अपने अधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक हो, अधिकार को;

8[(छ) मौजूदा समय में अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित लागू कोई अन्य कानून।]

(ii) भारत से माल निर्यात करने के लिए किसी भी व्यक्ति के अधिकार को, उस सीमा तक जहां तक करार ऐसे निर्यात के लिए माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण या नियंत्रण या सेवाओं की व्यवस्था करने से अनन्य रूप से संबंधित है,

निर्बन्धित नहीं करेगी।

धारा 4

प्रधानस्थिति का दुरुपयोग।

(1) कोई उद्यम या समूह अपनी प्रधानस्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा।]

(2) [उपधारा (1) के अधीन, प्रधानस्थिति का दुरुपयोग होगा, यदि कोई उद्यम या कोई समूह--

(क) (i) माल के क्रय या विक्रय में या सेवा की व्यवस्था में; या

(ii) माल या सेवाओं की क्रय या विक्रय कीमत में, (जिसके अंतर्गत स्वार्थचालित कीमत भी है), प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुचित या विभेदकारी शर्तें अधिरोपित करता है। स्पष्टीकरण।-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (i) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय या सेवा में अनुचित या विभेदकारी शर्त और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय में अनुचित या विभेदकारी कीमत (स्वार्थचालित कीमत सहित) या सेवा के अंतर्गत ऐसी

विभेदकारी शर्त या कीमत नहीं आएगी, जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अंगीकार की जाए; अथवा

(ख) (i) माल के उत्पादन या सेवा की व्यवस्था करने या उसके लिए बाजार को, या

(ii) उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए माल या सेवाओं के संबंध में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को,

परिसीमित या निर्बन्धित करता है; अथवा

(ग) ऐसे व्यवहार या व्यवहारों को करता है जिनसे बाजार तक पहुंच किसी रीति में] नहीं मिलती है, अथवा

(घ) संविदाओं के निष्पादन को ऐसी अनुपूरक बाध्यताओं के अन्य पक्षकारगण द्वारा स्वीकृति के अधीन बनाता है जिनका अपनी प्रकृति से या वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार ऐसी संविदाओं के विषय से कोई संबंध नहीं है, अथवा

(ङ) एक सुसंगत बाजार में अपनी प्रधानता को अन्य सुसंगत बाजारों में प्रवेश के लिए या उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रयोग करता है। स्पष्टीकरण।--इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद--

(क) प्रधानस्थिति से किसी उद्यम द्वारा, भारत में सुसंगत बाजार में प्राप्त ऐसी शक्ति की स्थिति अभिप्रेत है, जो उसे--

(i) प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या सुसंगत बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करने में समर्थ बनाती है;

(ख) "स्वार्थचालित कीमत" से उस कीमत पर माल का विक्रय या सेवाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है, जो प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने की दृष्टि से माल के उत्पादन या सेवा की व्यवस्था की उस कीमत से कम हो, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए;

(ग) समूह का वही अर्थ है जो धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है।]

XXX XXX XXX

धारा 19

कतिपय करारों और उद्यम की प्रधान स्थिति की जांच।

(1) आयोग, धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी अभिकथित उल्लंघन के लिए या तो स्वप्रेरणा से या--

(क) 1[किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संगम या व्यापार संगम से ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त किसी जानकारी पर; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, जांच कर सकेगा।

2[परंतु आयोग किसी सूचना या संदर्भ को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह वाद हेतुक कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर नहीं किया जाता है:

परंतु किसी सूचना या संदर्भ पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के बाद भी विचार किया जा सकता है यदि आयोग संतुष्ट है कि ऐसी देरी को माफ करने के कारणों को दर्ज करने के बाद ऐसी अवधि के भीतर सूचना या संदर्भ दाखिल न करने के पर्याप्त कारण थे।]

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग की शक्तियों और कृत्यों में उपधारा (3) से उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट शक्तियां और कृत्य सम्मिलित होंगे।

(3) आयोग, यह अवधारित करते समय कि क्या कोई करार धारा 3 के अधीन प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, निम्नलिखित बातों में से सभी या किसी पर सम्यक् विचार करेगा, अर्थात्:--

(क) बाजार में नए प्रवेशकों के लिए अवरोधों का सृजन;

(ख) विद्यमान प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करना;

*(ग) प्रतिस्पर्धा का पुरोबंध***;*

(घ) उपभोक्ताओं के लिए 4[लाभ या हानि]।

(ई) माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं की व्यवस्था में सुधार;

(च) माल के उत्पादन या वितरण या मेवाओं की व्यवस्था के माध्यम से तकनीकी, वैज्ञानिक या आर्थिक विकास का संवर्धन।

(4) आयोग, यह जांच करते समय कि क्या कोई उद्यम धारा 4 के अधीन प्रधानस्थिति का उपभोग करता है या नहीं, निम्नलिखित बातों में से सभी या किसी पर सम्यक् विचार करेगा, अर्थात्:--

(क) उद्यम का बाजार शेयर;

(ख) उद्यम का आकार और संसाधन;

(ग) प्रतिस्पर्धियों की संख्या और उनका महत्व;

(घ) उद्यम की आर्थिक शक्ति जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धियों से अधिक वाणिज्यिक फायदे भी हैं;

(ङ) उद्यमों की ऊर्ध्वस्तर एकीकरण या ऐसे उद्यमों का विक्रय या सेवा नेटवर्क;

(च) उद्यम पर उपभोक्ताओं की आश्रितता;

(छ) एकाधिकार या प्रधानस्थिति चाहे वह किसी कानून के परिणामस्वरूप अर्जित की गई हो या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण या अन्यथा हो;

(ज) प्रवेश के अवरोध जिसके अंतर्गत विनियामक अवरोध, वित्तीय जोखिम, प्रवेश की उच्च पूंजी लागत, विपणन प्रवेश अवरोध, तकनीकी प्रवेश रोध, माप की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता के लिए अनुकल्पी माल या सेवाओं की ऊंची लागत भी है;

(झ) प्रतिरोधी क्रय शक्ति;

(ञ) बाजार की संरचना और बाजार का आकार;

(ट) सामाजिक बाध्यताएं और सामाजिक लागत;

(ठ) प्रधान स्थिति वाले उद्यम द्वारा, जिसका प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव है या ऐसा होने की संभावना है, आर्थिक विकास को अभिदाय के माध्यम से सापेक्ष फायदा;

(ड) कोई अन्य बात जिसे आयोग जांच के लिए सुसंगत समझे।

(5) आयोग, यह अवधारित करने के लिए कि क्या कोई बाजार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "सुसंगत बाजार" का गठन करता है, "सुसंगत भौगोलिक बाजार" और "सुसंगत उत्पाद बाजार" का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(6) आयोग, 'सुसंगत भौगोलिक बाजार" का अवधारण करते समय निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:--

(क) विनियामक व्यापार अवरोध;

(ख) स्थानीय विनिर्देशन अपेक्षाएं;

(ग) राष्ट्रीय उपापन नीतियां;

(घ) पर्यास वितरण सुविधाएं;

(ङ) परिवहन लागत;

(च) भाषा;

(छ) उपभोक्ता अधिमान;

(ज) नियमित आपूर्ति या विक्रयोपरांत त्वरित सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

5[(i) माल की विशेषताएं या सेवाओं की प्रकृति;

(झ) अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति या मांग को बदलने से जुड़ी लागतें।]

(7) आयोग, "सुसंगत उत्पाद बाजार" का अवधारण करते समय, निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:--

(क) माल की भौतिक विशेषाएं या उसका अंतिम उपयोग 5 [या सेवाओं की प्रकृति];

(ख) माल या सेवाओं की कीमत;

(ग) उपभोक्ता अधिमान;

(घ) आंतरिक उत्पाद का अपवर्जन;

(ङ) विशिष्ट उत्पादकों की विद्यमानता;

(च) औद्योगिक उत्पादों का वर्गीकरण।

5(छ) मांग या आपूर्ति को अन्य माल या सेवाओं में बदलने से जुड़ी लागतें;

(ज) ग्राहकों की श्रेणियां।

XXX XXX XXX

धारा 26

धारा 19 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया।

1[26. धारा 19 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया।--(1) धारा 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से निर्देश की प्राप्ति पर, या स्वयं की जानकारी पर या प्राप्त सूचना पर, यदि आयोग की यह राय है कि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो वह महानिदेशक को निदेश देगा कि मामले में अन्वेषण करवाए:

परंतु यदि प्राप्त जानकारी की विषयवस्तु, आयोग की राय में, सारवान् रूप से वही है, जो किसी पूर्व प्राप्त जानकारी की थी या उसके अंतर्गत आती है तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) जहां धारा 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्राप्ति पर या जानकारी के प्राप्त होने पर आयोग की यह राय हो कि प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है तो वह तुरन्त मामले को बंद करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और अपने आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबद्ध पक्षकारों को भेजेगा।

2[(2क) आयोग धारा 3 में निर्दिष्ट करार या धारा 4 के अधीन किसी उद्यम या समूह के आचरण की जांच नहीं कर सकता है, यदि धारा 19 के अधीन प्राप्त जानकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण से संदर्भ में उठाए गए वही या काफी हद तक वही तथ्य और मुद्दे आयोग द्वारा अपने पिछले आदेश में पहले ही तय किए जा चुके हैं।]

(3) महानिदेशक, उपधारा (1) के अधीन निदेश की प्राप्ति पर, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

2[(3क) यदि, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग की राय है कि आगे की जांच की आवश्यकता है, तो वह महानिदेशक को मामले में आगे की जांच करने का निर्देश देगा।

(3ख) महानिदेशक, उप-धारा (3क) के अंतर्गत निर्देश प्राप्त होने पर, मामले की जांच करेंगे और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने निष्कर्षों पर एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) आयोग उपधारा 3 [उप-धारा (3) और (3ख)] में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति संबद्ध पक्षकारों को भेज सकेगा:

परंतु यदि अन्वेषण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त निर्देश के आधार पर कराया जाता है तो आयोग उपधारा 3 [उप-धारा (3) और (3ख)] में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी को भेजेगा।

(5) यदि, उपधारा 3 [उप-धारा (3) और (3ख)] में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो आयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या सम्बद्ध पक्षकारों से महानिदेशक की ऐसी रिपोर्ट पर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करेगा।

(6) यदि, उपधारा (5) में निर्दिष्ट आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, आयोग महानिदेशक की सिफारिशों से सहमत होता है तो वह तुरन्त मामले को बंद करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और अपने

आदेश को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या संबद्ध पक्षकारों को संसूचित करेगा।

(7) यदि, उपधारा (5) में निर्दिष्ट आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् आयोग की यह राय है कि आगे और अन्वेषण कराया जाना चाहिए तो वह उस मामले में महानिदेशक द्वारा और अन्वेषण कराने के लिए निर्देश दे सकेगा या उस मामले में और जांच करा सकेगा या स्वयं इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस मामले में और जांच कर सकेगा।

(8) यदि उपधारा 3 [उप-धारा (3) और (3ख)] में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है और आयोग की यह राय है कि और जांच कराई जानी चाहिए तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की जांच करेगा।]

धारा 27

करारों या प्रधानस्थिति के दुरुपयोग के संबंध में जांच के पश्चात् आयोग द्वारा आदेश।

जहां जांच के पश्चात् आयोग यह पाता है कि धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार अथवा किसी प्रधानस्थिति वाले उद्यम का कार्य, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में है तो वह निम्नलिखित सभी या कोई आदेश पारित कर सकेगा:--

(क) ऐसे करार या प्रधानस्थिति के दुरुपयोग में अंतर्वलित, यथास्थिति, उद्यम या उद्यम-संगम या व्यक्ति अथवा व्यक्ति-संगम

को, यथास्थिति, ऐसे करार को बंद करने और पुनः न करने या ऐसी प्रधानस्थिति के दुरुपयोग को रोकने का निदेश देना;

(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या उद्यमों पर, जो ऐसे करारों या दुरुपयोग के पक्षकार हैं, ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो वह उचित समझे किंतु वह गत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत व्यापारावर्त के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

1[परंतु किसी उत्पादक संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग, उस उत्पादक संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके आवर्त के दस प्रतिशत तक की इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।]

2 * * * **

(घ) यह निदेश देना कि करार उस सीमा तक और ऐसी रीति में उपांतरित हो जाएंगे जो आयोग द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ङ) संबंधित उद्यमों को ऐसे अन्य आदेशों के अनुपालन करने का निदेश देना जो आयोग द्वारा पारित किए जाएं और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना, जिसके अन्तर्गत खर्चों का संदाय, यदि कोई हो, भी हैं;

3 * * * **

(छ) ऐसा अन्य 4[आदेश पारित करना या ऐसे निदेश जारी करना] जिसे वह उचित समझे:

परंतु इस धारा के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई उद्यम अधिनियम की धारा 3

या धारा 4 के उल्लंघन में अधिनियम की धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में यथापरिभाषित समूह का सदस्य है और ऐसे समूह के अन्य सदस्य भी ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं या उन्होंने ऐसे उल्लंघन में सहयोग किया है तो वह, इस धारा के अधीन, समूह के ऐसे सदस्यों के विरुद्ध आदेश पारित कर सकेगा।

धारा 28

प्रधानस्थिति रखने वाले उद्यम का प्रभाजन।

(1) [आयोग] तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित रूप में आदेश द्वारा प्रधानस्थिति रखने वाले किसी ऐसे उद्यम के प्रभाजन का निदेश यह सुनिश्चित करने के लिए दे सकेगा कि ऐसा उद्यम अपनी प्रधानस्थिति का दुरुपयोग न करे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:--

(क) संपत्ति, अधिकारों, उत्तरदायित्वों या बाध्यताओं का अंतरण या निहित होना;

(ख) संविदाओं का समायोजन चाहे वह किसी उत्तरदायित्व या बाध्यता या अन्यथा के उन्मोचन द्वारा या कमी द्वारा हो;

(ग) किन्हीं शेयरों, स्टाकों या प्रतिभूतियों का सृजन, आबंटन, अभ्यर्पण या रद्दकरण;

2 * * * *

(ङ) किसी उद्यम का गठन या समापन अथवा किसी उद्यम के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद या उसके कारबार को विनियमित करने वाली किसी अन्य लिखत का संशोधन;

(च) वह विस्तार जहां तक और वे परिस्थितियां जिनमें आदेश के ऐसे उपबंध, जो उद्यम को प्रभावित करते हैं, उद्यम द्वारा परिवर्तित किए जा सकेंगे और उसका रजिस्ट्रीकरण;

(छ) कोई अन्य विषय जो उद्यम के प्रभाजन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा में या किसी संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी का ऐसा अधिकारी जो किसी उद्यम के प्रभाजन के परिणामस्वरूप उस रूप में पद पर नहीं रह जाता है ऐसे नहीं रह जाने के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

XXX XXX XXX

धारा 60

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

XXX XXX XXX

धारा 62

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

<u>दो विधियों के बीच टकराव और उनका समाधान</u>

20. पेटेंट अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष विधियां हैं, अर्थात् क्रमशः पेटेंट और प्रतिस्पर्धा। पेटेंट अधिनियम सातवीं अनुसूची में पहली सूची की प्रविष्टि 49 के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, जबकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम सातवीं अनुसूची में तीसरी सूची की प्रविष्टि 21 के अनुसार अधिनियमित किया गया है। दोनों विधियां संसद द्वारा अधिनियमित होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 254 के उपबंधों की इस मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है। पेटेंटधारियों का प्राख्यान है कि पेटेंट अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जबकि सीसीआई और मुखबिरों का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है।

21. पेटेंट अधिनियम का अध्याय XVI, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम अधिनियमित होने के बाद 2003 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, एक बाद का अधिनियम है, और पेटेंटधारियों का यह तर्क कि सूक्ति *बाद की विधि पिछली विधि पर अभिभावी होती है*[4] के अनुप्रयोग से, पेटेंट अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर अभिभावी होना चाहिए, पहली नज़र में आकर्षक लगता है।

[4] ..... बाद में निर्मित विधि पहले की विधि पर अभिभावी होती है।

22. हालांकि, न्यायालय उस विधि के प्रति सचेत रहेगा जो इस बात पर विकसित हुई है कि दो कानूनों के बीच कथित प्रतिकूलता को कैसे हल किया जाना चाहिए जब दोनों ही विशेष विधि प्रतीत होते हैं, और दोनों विधियां एक ही विधायिका द्वारा बनाई गई हैं। इस विषय पर एक आप्त निर्णय, *अशोका मार्केटिंग लिमिटेड एवं अन्य बनाम पीएनबी एवं अन्य*, (1990) 4 एससीसी 406 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ की उक्ति है, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

> क) जब एक ही विधायिका द्वारा दो कानून बनाए जाते हैं, तो इस प्रश्न पर, कि क्या एक दूसरे पर अभिभावी होता है, विचार भी उसी विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों पर लागू कानूनी व्याख्या के सिद्धांतों के प्रकाश में करना होगा (पैरा 49)।
>
> ख) ऐसा ही एक सिद्धांत यह है कि बाद की विधियां पहले की विधियों को निराकृत कर देती हैं। यह इस अपवाद के अधीन है कि सामान्य विधियां किसी विशेष विधि पर अभिभावी नहीं हो सकती। निर्णय की भाषा का उपयोग करें तो, *इसका मतलब यह है कि जहां सामान्य अधिनियमिति का शाब्दिक अर्थ ऐसी स्थिति को शामिल करता है जिसके लिए पिछले अधिनियम में निहित किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा विशिष्ट उपबंध किया गया है, तो यह माना जाता है कि स्थिति की कार्यवाही बाद के सामान्य उपबंध के बजाय विशिष्ट उपबंध द्वारा ही की*

जानी जारी रखनी चाहिए (बेनियन, स्टैचुटोरी इंटरप्रिटेशन पृ. 433-34) (पैरा. 50)।

ग) जैसा कि जीवन बीमा निगम बनाम डी.जे. बहादुर, (1981) 1 एससीसी 315 में देखा गया है, यह निर्धारित करने में कि कोई कानून विशेष है या सामान्य, तो यह देखना होगा कि उस कानून का ध्यान मामले की मुख्य विषय वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित हो। कुछ उद्देश्यों के लिए, एक अधिनियम सामान्य होगा और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यही विशेष होगा और विधि के सूक्ष्म बिंदुओं को देखते समय हम उन अंतरों को धुंधला नहीं कर सकते (पैरा 53)।

घ) ... दो अधिनियमितियों के उपबंधों के बीच असंगतता के मामले में, दोनों को प्रकृति में विशेष माना जा सकता है, और संघर्ष को दो अधिनियमितियों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति के संदर्भ में और उनमें प्रासंगिक उपबंधों की भाषा द्वारा व्यक्त स्पष्ट आशय के आधार पर हल किया जाना चाहिए (पैरा 61)।

23. यह सुनिश्चित करने के संबंध में भी व्यापक विधि है कि किसी विधि को विशेष विधि कब माना जा सकता है। किसी कानून के सामान्य या विशेष होने के परीक्षण के प्रश्न पर चर्चा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1999) 7 एससीसी 76 में अभिनिर्धारित किया कि:

".....10. इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि कोई कानून सामान्य है या विशेष, तो ध्यान मामले की मुख्य विषय-वस्तु के साथ-साथ अधिनियम के अर्थान्वयन के संदर्भ में एक विशेष परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए....

24. उपरोक्त को उद्धृत करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने *सीटीओ, राजस्थान बनाम बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड एवं अन्य* (2014) 8 एससीसी 319 में टिप्पणी की है:

47. ... कानूनी निर्माण का नियम कि विशिष्ट सामान्य को नियंत्रित करता है, एक आत्यंतिक नियम नहीं है, बल्कि केवल कानूनी अर्थ का एक मजबूत संकेत है जिसे अन्य दिशा में इंगित करने वाले पाठ्य संकेतों से दूर किया जा सकता है। यह नियम विशेष रूप से वहां लागू होता है जहां विधायिका ने व्यापक योजना बनाई है और विशिष्ट समाधानों के साथ जानबूझकर विशिष्ट समस्याओं को लक्षित किया है। किसी विशिष्ट, परिभाषित और वर्णन योग्य विषय से संबंधित विषय-विशिष्ट प्रावधान को एक अपवाद के रूप में माना जाता है और यह एक व्यापक विषय से संबंधित सामान्य उपबंध पर अभिभावी होगा।

25. संकेत, स्पष्ट रूप से, यह है कि जब दो कानून विशेष हों तो न्यायालय को स्वचालित रूप से पिछले कानून को अभिभावी करते हुए बाद के कानून को बनाए नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार न्यायालय को भी विधियों को केवल इसलिए विशेष घोषित करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे समग्र रूप से किसी विशिष्ट मुद्दे/विषय से संबंधित हैं।

26. जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह है: (i) प्रश्नगत विषय वस्तु, (ii) उसके संबंध में कानूनों का आशय, साथ ही (iii) कि क्या योजना और दोनों कानूनों के प्रासंगिक उपबंधों में कोई संकेत है, जिसके विषय में विधायिका को लगता है कि उसे दूसरे पर अभिभावी होना चाहिए, विशेषतः जब दोनों कानूनों में एक सर्वोपरि खंड है। हम इस अभ्यास को नीचे तीन चरणों की प्रक्रिया में करने का प्रयास करेंगे।

27. सबसे पहले, हम यह देखने के लिए विधियों का मूल्यांकन करेंगे कि कानून की योजनाएं क्या हैं, और उनके द्वारा स्थापित अधिकारियों में निहित शक्तियों की प्रकृति क्या है। फिर हम उस प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे जिस पर सीसीआई द्वारा विचार किया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि सीसीआई की जांच का विषय क्या है, जिसे पेटेंटधारियों द्वारा आक्षेपित किया जा रहा है। अंत में, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या विधायिका इस जांच को विशेष रूप से या तो पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत या प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत आयोजित करने का इरादा रखती है, या क्या कोई भी दूसरे पर अभिभावी नहीं होता है।

<u>सीसीआई और इसकी शक्तियां</u>

28. सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया एक कानूनी प्राधिकरण है। इसकी धारा 3 और 4, प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रधानस्थिति के दुरुपयोग पर प्रतिषेध लगाती है।

29. धारा 19(1) सीसीआई को धारा 3 या 4 के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का अधिकार देती है। धारा 19(2) स्पष्ट करती है कि धारा 19(1) के अंतर्गत शक्ति में धारा 19(3) से 19(7) के अंतर्गत शक्तियां और कार्य शामिल हैं, जिनके लिए मोटे तौर पर आयोग को:

क) यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या किसी अनुबंध का प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और ऐसी प्रक्रिया में, धारा 19(3) में निर्दिष्ट कारकों का उचित ध्यान रखना होगा;[5]

ख) यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या कोई उद्यम एक प्रधानस्थिति का आनंद लेता है, और ऐसी प्रक्रिया में, धारा 19(4) में निर्दिष्ट कारकों का उचित ध्यान रखता है;[6]

ग) "प्रासंगिक बाजार" निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, और ऐसी प्रक्रिया में, "प्रासंगिक भौगोलिक बाजार" और "प्रासंगिक उत्पाद बाजार" का उचित सम्मान किया जाता है;

---

[5] (क) बाजार में नए प्रवेशकों के लिए अवरोधों का सृजन; (ख) विद्यमान प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करना; (ग) बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके प्रतिस्पर्धा का पुरोबंध; (घ) उपभोक्ताओं के लिए फायदों का प्रोद्भवन; (ङ) माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं की व्यवस्था में सुधार; (च) माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं की व्यवस्था के माध्यम से तकनीकी, वैज्ञानिक या आर्थिक विकास का संवर्धन।

[6] (क) उद्यम का बाजार शेयर; (ख) उद्यम का आकार और संसाधन; (ग) प्रतिस्पर्धियों की संख्या और उनका महत्व; (घ) उद्यम की आर्थिक शक्ति जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धियों से अधिक वाणिज्यिक फायदे भी हैं; (ङ) उद्यमों की ऊर्ध्वस्तर एकीकरण या ऐसे उद्यमों का विक्रय या सेवा नेटवर्क; (च) उद्यम पर उपभोक्ताओं की आश्रितता; (छ) एकाधिकार या प्रधानस्थिति चाहे वह किसी कानून के परिणामस्वरूप अर्जित की गई हो या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण या अन्यथा हो; (ज) प्रवेश के अवरोध जिसके अंतर्गत विनियामक अवरोध, वित्तीय जोखिम, प्रवेश की उच्च पूंजी लागत, विपणन प्रवेश अवरोध, तकनीकी प्रवेश रोध, माप की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता के लिए अनुकल्पी माल या सेवाओं की ऊंची लागत भी है: (झ) प्रतिरोधी क्रय शक्ति; (ब) बाजार की संरचना और बाजार का आकार; (ट) सामाजिक बाध्यताएं और सामाजिक लागत; (ठ) प्रधान स्थिति वाले उद्यम द्वारा, जिसका प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव है या ऐसा होने की संभावना है, आर्थिक विकास को अभिदाय के माध्यम से सापेक्ष फायदा; (ड) कोई अन्य बात जिसे आयोग जांच के लिए सुसंगत समझे।

घ) "प्रासंगिक भौगोलिक बाजार" निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, और ऐसी प्रक्रिया में, धारा 19(6) में निर्दिष्ट कारकों का उचित ध्यान रखना होता है;[7]

ङ) "प्रासंगिक उत्पाद बाजार" निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, और ऐसी प्रक्रिया में, धारा 19(7) में निर्दिष्ट कारकों का उचित ध्यान रखना होता है;[8]

30. प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26, धारा 19 के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया निर्धारित करती है, जिसके लिए सीसीआई को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है और यह अधिकार देता है:

क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला है, और यदि हां, तो महानिदेशक को मामले में जांच करने का निर्देश दे[9], और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है, तो मामले को बंद कर दे;

ख) महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करे और आगे की जांच का निर्देश दे और यदि आवश्यक हो तो एक पूरक रिपोर्ट मंगाए, प्राप्त रिपोर्ट/रिपोर्टों को पक्षकारगण को अग्रेषित करे; और

[7] (क) विनियामक व्यापार अवरोध; (ख) स्थानीय विनिर्देश अपेक्षाएं; (ग) राष्ट्रीय उपापन नीतियां; (घ) पर्याप्त वितरण सुविधाएं: (ङ) परिवहन लागतः (च) भाषा; (छ) उपभोक्ता अधिमान; (ज) नियमित आपूर्ति या विक्रयोपरांत त्वरित सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

[8] (क) माल की भौतिक विशेषाएं या उसका अंतिम उपयोग; (ख) माल या सेवाओं की कीमत; (ग) उपभोक्ता अधिमान; (घ) आंतरिक उत्पाद का अपवर्जन; (ङ) विशिष्ट उत्पादकों की विद्यमानता; (च) औद्योगिक उत्पादों का वर्गीकरण।

[9] इस संबंध में महानिदेशक को धारा 41 के अंतर्गत निर्दिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं।

ग) यदि आवश्यक हो तो आपत्तियां सुने, और निष्कर्षों और आपत्तियों के आधार पर मामले में आगे की जांच करे।

31. सी.सी.आई. को उपरोक्त निबंधनों की जांच के बाद प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 और 28 द्वारा निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

क) ऐसे अनुबंध/धों को बंद करना और/या प्रधानस्थिति का दुरुपयोग करना, और ऐसे अनुबंध/धों में दोबारा प्रवेश न करना;

ख) दंड अधिरोपित करना;

ग) अपने आदेश द्वारा अनुबंध को संशोधित करना;

घ) लागत सहित पारित किसी भी अन्य आदेश का प्रत्यक्ष अनुपालन;

ङ) ऐसी स्थिति के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए प्रधानस्थिति का आनंद ले रहे उद्यम का प्रत्यक्ष विभाजन; और

च) आगे और अन्य आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

32. प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(5)(i)(ख) के उपबंध भी कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिन पर इस निर्णय में अधिक उपयुक्त समय पर चर्चा की जाएगी।

<u>नियंत्रक और उसकी शक्तियां</u>

33. पेटेंट अधिनियम का अध्याय XVI, जिसे 2003 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, जैसा कि इसके शीर्षक से संकेत मिलता है,

पेटेंट की कार्यप्रणाली, अनिवार्य लाइसेंस और प्रतिसंहरण से संबंधित है। धारा 83 कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित करती है जिनका ध्यान अध्याय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय होना चाहिए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

(क) आविष्कारों को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट दिए जाते हैं कि आविष्कारों को भारत में व्यावसायिक पैमाने पर क्रियान्वित किया जाए;

ख) पेटेंट केवल पेटेंटधारियों को पेटेंट की गई वस्तु के आयात पर एकाधिकार का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए नहीं दिए जाते हैं;

ग) पेटेंट अधिकार *तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी के अंतरण और प्रसार, तकनीकी ज्ञान के उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के पारस्परिक लाभ के लिए, और सामाजिक और आर्थिक कल्याण और अधिकारों और दायित्वों के संतुलन के लिए अनुकूल तरीके से* योगदान करने के लिए संरक्षित हैं;

घ) दिए गए पेटेंट सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा में अड़चन नहीं डालते हैं, और *उन्हें विशेष रूप से भारत के सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना चाहिए;*

ङ) कि पेटेंट अधिकार का पेटेंटधारी द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाता है, और पेटेंटधारी उन प्रथाओं का सहारा नहीं लेता है जो अनुचित रूप से व्यापार को रोकते हैं या प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय अंतरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; और

च) पेटेंट किए गए आविष्कार का लाभ जनता को उचित वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए पेटेंट दिए जाते हैं।

34. पेटेंट अधिनियम की धारा 84(4) के साथ पठित धारा 84(1) नियंत्रक को अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार देती है यदि जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं या पेटेंट किया गया आविष्कार उचित मूल्य पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, या पेटेंट किए गए आविष्कार पर भारत में काम नहीं किया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करने में, धारा 84(5) नियंत्रक को धारा 88 के अंतर्गत भी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है।

35. पेटेंट अधिनियम की धारा 84(2) लाइसेंस धारक को भी ऐसे अनिवार्य लाइसेंस की मांग करने की अनुमति देती है। धारा 84(6) में नियंत्रक से अनिवार्य लाइसेंस देने पर विचार करते समय कुछ निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है।[10] इसमें महत्वपूर्ण यह है कि क्या आवेदक ने उचित शर्तों और निबंधनों पर पेटेंटधारी से लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास किया है।

36. पेटेंट अधिनियम की धारा 84(7) घोषित करती है कि जनता की उचित आवश्यकताओं को उसमें निर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में संतुष्ट नहीं माना जाता है, जिसमें शामिल हैं:

[10] (i) आविष्कार की प्रकृति, पेटेंट की मुहर लगने के बाद से बीता समय और आविष्कार का पूर्ण उपयोग करने के लिए पेटेंटधारक या किसी लाइसेंसधारक द्वारा पहले से उठाए गए उपाय; (ii) आवेदक की आविष्कार को सार्वजनिक लाभ के लिए क्रियान्वित करने की क्षमता; (iii) यदि आवेदन स्वीकृत हो जाए तो पूंजी उपलब्ध कराने और आविष्कार को क्रियान्वित करने में जोखिम उठाने की आवेदक की क्षमता; (iv) क्या आवेदक ने पेटेंटधारक से उचित शर्तों पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास नियंत्रक द्वारा उचित समझी गई उचित अवधि के भीतर सफल नहीं हुए हैं।

क) यदि लाइसेंस के इनकार के परिणामस्वरूप मौजूदा व्यापार या उद्योग, या उसका विकास, या भारत में एक नए व्यापार या उद्योग की स्थापना, या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के व्यापार या उद्योग या भारत में विनिर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

ख) यदि लाइसेंस देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप भारत में व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

ग) यदि पेटेंटधारी द्वारा लगाई गई शर्तों के परिणामस्वरूप पेटेंट किए गए लेखों का उपयोग होता है, या पेटेंट द्वारा संरक्षित नहीं की गई सामग्री का निर्माण, उपयोग या बिक्री होती है, या भारत में किसी व्यापार या उद्योग की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

घ) यदि पेटेंटधारी द्वारा विशेष अनुदान वापसी, या पेटेंट की वैधता के लिए चुनौतियों की रोकथाम, या जबरदस्ती पैकेज लाइसेंसिंग जैसी शर्तें लगाई जाती हैं;

ङ) यदि भारत में व्यावसायिक पैमाने पर पेटेंट किए गए आविष्कार के उपयोग को पेटेंट की गई वस्तु के आयात से रोका या बाधित किया जा रहा है;

37. पेटेंट अधिनियम की धारा 87 अनिवार्य लाइसेंस देने के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है, जिसके

लिए नियंत्रक को मामले पर निर्णय लेने से पहले पक्षकारगण को पर्याप्त नोटिस और सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता होती है।

38. पेटेंट अधिनियम की धारा 88(2) लाइसेंस-धारक द्वारा आवेदन के मामलों में नियंत्रक को यह अधिकार देती है कि वह अनिवार्य लाइसेंस देते समय या तो मौजूदा लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दे, या अनिवार्य लाइसेंस देने के बजाय मौजूदा लाइसेंस में संशोधन कर सके।

39. पेटेंट अधिनियम की धारा 88(3) नियंत्रक को किसी विशेष पेटेंट के लिए अनिवार्य लाइसेंस देते समय, उसी पेटेंटधारी द्वारा रखे गए अन्य पेटेंट के संबंध में भी लाइसेंस देने का अधिकार देती है, यदि दिया गया लाइसेंस ऐसे अन्य पेटेंट का अतिलंघन किए बिना उपयोग नहीं किया सकता है। पेटेंट अधिनियम की धारा 88(4) कुछ शर्तों में अनिवार्य लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के पुनर्विलोकन का अधिकार देती है, यदि तय किए गए निबंधन और शर्तें मूल रूप से अपेक्षा से अधिक दुर्भर साबित होती हैं, और लाइसेंसधारी हानि के अतिरिक्त आविष्कार का उपयोग करने में असमर्थ है।

40. पेटेंट अधिनियम की धारा 89 अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के सामान्य उद्देश्यों की घोषणा करती है, अर्थात, पेटेंट किए गए आविष्कारों का भारत में व्यावसायिक पैमाने पर काम किया जाता है, और वर्तमान में पेटेंट किए गए आविष्कारों पर काम करने वाले व्यक्तियों के हितों पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाता है।

41. धारा 90 निर्धारित करती है कि अनिवार्य लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों को तय करने में, नियंत्रक कुछ शर्तों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा जैसे:

क) स्वामिस्व और पेटेंटधारी के लिए आरक्षित अन्य पारिश्रमिक आविष्कार की प्रकृति, जो पेटेंटधारी द्वारा इसे बनाने या विकसित करने और पेटेंट प्राप्त करने और इसे लागू रखने में किया गया व्यय, और अन्य प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखते हुए उचित है;

ख) पेटेंट किए गए आविष्कार को उस व्यक्ति द्वारा पूर्ण सीमा तक और उचित लाभ के साथ काम किया जाता है, जिसे अनिवार्य लाइसेंस दिया गया है;

ग) पेटेंट की गई वस्तुएं जनता को उचित वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं; और

घ) यदि लाइसेंस न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद प्रतिस्पर्धा-विरोधी होने के लिए निर्धारित अभ्यास को ठीक करने के लिए दिया जाता है, तो आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंसधारी को उत्पाद निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

42. पेटेंट अधिनियम की धारा 92 कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंस देने में सक्षम बनाती है, और उसके लिए उपबंध निर्धारित करती है।

43. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत पेटेंट के विक्रय, पट्टे या लाइसेंस में प्रतिबंधात्मक प्रसंविदाओं से संबंधित कुछ शक्तियां न्यायालयों के लिए भी आरक्षित हैं। ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तों को शून्य घोषित कर दिया जाता है, और न्यायालयों को अतिलंघन के आरोपों के लिए वैध बचाव के रूप में विचार करने का अधिकार दिया जाता है।

<u>इन कार्यवाहियों में आक्षेपित सीसीआई द्वारा की जा रही जांच की प्रकृति</u>

44. पेटेंटधारियों का मत यह रहा है कि पेटेंट अधिनियम एक विशेष विधि है जो विशेष रूप से पेटेंट से संबंधित है, और लाइसेंसिंग पेटेंट के लिए शर्तों को अधिरोपित करने के मुद्दे पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंध और स्पष्ट रूप से प्रधानस्थिति का दुरुपयोग शामिल है। उनका तर्क है कि इसे ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम को, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और आम तौर पर प्रधानस्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है, विशेष विधि पर अभिभावी होने का कोई कारण नहीं है।

45. इसके विपरीत सीसीआई और मुखबिरों का मत इस आशय का है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम एक विशेष विधि है जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रधानस्थिति के दुरुपयोग से निपटता है, और इस प्रकार पेटेंट अधिनियम के कुछ भटके हुए उपबंधों को, जो आम तौर पर पेटेंट के साथ अन्यथा निपटते

हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर अभिभावी होने के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जो किसी भी स्थिति में, एक बाद का कानून है।

46. दोनों पक्षकारगण द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(5)(i)(ख) के उपबंधों पर विशेष जोर दिया गया है। सीसीआई की ओर से, उपबंध को इस बात पर जोर देने के लिए उद्धृत किया गया है कि जो अनुमति दी गई है वह केवल उचित शर्तों को अधिरोपित करने के लिए है जो पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जा सकने वाले अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

47. 2016 के निर्णय का बचाव करते हुए, सीसीआई ने तर्क दिया कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(5)(i)(ख) और धारा 4 के उपबंध यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सीसीआई, और केवल सीसीआई ही इस पर विचार कर सकता है कि क्या पेटेंट को लाइसेंस देने वाले अनुबंध में अधिरोपित की गई शर्त अनुचित है, अर्थात, जिससे भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या प्रधानस्थिति का दुरुपयोग होगा। हम सहमत नहीं हैं।

48. यह प्रश्न कि क्या कोई अनुबंध जिसके अंतर्गत पेटेंट का लाइसेंस दिया जाता है, भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालेगा या प्रधानस्थिति का दुरुपयोग होगा, सीसीआई के लिए आरक्षित नहीं है। इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 या 4 के संभावित उल्लंघन का

मूल्यांकन करते समय धारा 19(3) और 19(4) के अंतर्गत सीसीआई को जिन कारकों पर विचार करना आवश्यक है, वे उन कारकों से बहुत अलग नहीं हैं, जिन्हें नियंत्रक, अनिवार्य लाइसेंस देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, धारा 84(6) और 84(7) के संदर्भ में विचार करेगा, विशेष तौर पर जब पेटेंट अधिनियम की धारा 83 और 89 के साथ पढ़ा जाए।

49. हमारे विचार में, सीसीआई द्वारा पेटेंट अधिकारों के दावे के संबंध में प्रस्तावित जांच, लगभग उसी प्रकार की है, जैसी पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा की जाएगी। विधायी आशय पेटेंट अधिनियम में स्पष्ट है - विशेष रूप से 2003 के संशोधन द्वारा संशोधित, जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम के लागू होने के बाद अध्याय XVI को शामिल किया गया। यह विशेष रूप से पेटेंट से संबंधित क्षेत्र के लिए है, लाइसेंसिंग अनुबंधों में अनुचित शर्तें, पेटेंटधारी के रूप में स्थिति का दुरुपयोग, इसके संबंध में जांच और इसके लिए दी जाने वाली राहत सभी पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

50. हमारे विचार में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और सामान्यतः प्रधानस्थिति के दुरुपयोग से संबंधित एक सामान्य विधान है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के धारा 3(5)(i)(ख)[11] के साथ पारित होने के बाद

[11] 3. ***
(5) इस धारा में निहित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रतिबंधित नहीं करेगी–
(i) किसी व्यक्ति के किसी भी अतिलंघन को रोकने या उचित शर्तें लगाने का अधिकार, जो उसके किसी भी अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकती है, जो उसे प्रदान की गई है या दी जा सकती है–
***
(ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
***

संशोधन के माध्यम से पेटेंट अधिनियम में धारा 84(6)(iv)[12] को शामिल किया जाना प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों के संबंध में उपरोक्त विधायी आशय के लिए विशेष रूप से शिक्षाप्रद है।

51. अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, नियंत्रक को पेटेंट अधिनियम द्वारा लाइसेंस अनुबंध में लगाई गई शर्तों की उचितता पर विचार करने का अधिकार दिया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत सीसीआई को प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रधानस्थिति के दुरुपयोग का परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। हालाँकि, प्रतिस्पर्धा अधिनियम में पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के प्रयोग से संबंधित अनुबंध में उचित शर्तें लगाने का प्रावधान किया गया है। चूँकि ऐसी उचित शर्तों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(5)(i)(ख) के अंतर्गत परीक्षण से छूट दी गई है, यह उचित शर्तों के संबंध में पेटेंट अधिनियम के अनन्य अधिकार क्षेत्र के बारे में विधायिका के आशय का संकेत है। हमारे विचार में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 की तुलना में पेटेंट अधिनियम की धारा 83(च) की भाषा के साथ भी स्थिति ऐसी ही है।

---

[12] 84. ***
(6) इस धारा के अधीन दायर आवेदन पर विचार करते समय नियंत्रक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा,—
***
(iv) कि क्या आवेदक ने पेटेंटधारी से उचित शर्तों और नियमों पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास नियंत्रक द्वारा उचित समझी गई उचित अवधि के भीतर सफल नहीं हुए हैं:
परंतु यह खंड राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यंत आवश्यक अन्य परिस्थितियों या सार्वजनिक गैर-वाणिज्यिक उपयोग के मामले में या पेटेंटधारी द्वारा अपनाई गई प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के आधार की स्थापना पर लागू नहीं होगा, लेकिन आवेदन करने के बाद के मामलों को ध्यान में रखना अपेक्षित नहीं होगा।

52. हमारी राय में, पेटेंट अधिनियम का अध्याय XVI पेटेंट के लाइसेंसिंग अनुबंधों में अनुचित शर्तों, पेटेंटधारी के रूप में स्थिति का दुरुपयोग, इसके संबंध में जांच और इसके लिए दी जाने वाली राहत से संबंधित सभी मुद्दों पर अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।

53. दोनों कानूनों के बीच सामंजस्य बिठाने में, जिस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, वह केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंध और प्रधानस्थिति का दुरुपयोग नहीं है, जिससे पेटेंट अधिनियम (अध्याय XVI में) और प्रतिस्पर्धा अधिनियम (धारा 3 और 4 में) दोनों निपटते हैं। इस मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक विषय-वस्तु प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंध और पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग में पेटेंटधारी द्वारा प्रधानस्थिति का दुरुपयोग है।

54. इस मुद्दे पर, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि पेटेंट अधिनियम ही विशेष कानून है, न कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम। यह भी एक तथ्य है कि पेटेंट अधिनियम का अध्याय XVI प्रतिस्पर्धा अधिनियम की तुलना में एक बाद का विधान है।

55. इसलिए, जब *सामान्य विधि विशेष विधि पर अभिभावी नहीं होती*[13] सूक्ति या *बाद की विधि पिछली विधि पर अभिभावी होती है* सूक्ति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत पेटेंटधारी द्वारा अधिकारों के

[13] सामान्य विधि, विशेष विधि पर अभिभावी नहीं होती।

प्रयोग के मुद्दे पर पेटेंट अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर अभिभावी होना चाहिए। यहाँ तक कि *अशोका मार्केटिंग (पूर्वोक्त)* के नियमों के अनुसार भी, जिसके अनुसार संघर्ष का समाधान दोनों अधिनियमितियों के उद्देश्य और नीति तथा उनमें प्रासंगिक उपबंधों की भाषा द्वारा व्यक्त स्पष्ट आशय के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है, पेटेंट अधिनियम को अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर अभिभावी होना चाहिए।

56. इस कारण से, हमारे विचार में, ले.पे.अ. 246/2016, 247/2016, 150/2020, 550/2016 और रि.या.(सि.) 8379/2015 को अनुमति दी जानी चाहिए और दी भी गई है। 2016 के निर्णय और 2020 के निर्णय को अपास्त किया जाता है। सीसीआई द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियां, जो उक्त अपीलों/याचिकाओं में आक्षेपित हैं, को अभिखंडित किया जाता है।

57. बेशक, इस निर्णय को किसी भी पक्ष के दावों के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि क्या एरिक्सन या मोनसेंटो ने वास्तव में प्रतिस्पर्धा-विरोधी शर्तें अधिरोपित की हैं या अपनी प्रधानस्थिति का दुरुपयोग किया है।

58. उपरोक्त कारणों से, 2015 का निर्णय संधार्य रखा जाता है। शक्ति के अभाव में सीसीआई की कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है। न्यायालय का मानना है कि एक बार जब मुखबिर और जिस व्यक्ति के विरुद्ध सूचना दी गई है, के बीच समझौता हो जाता है तो सीसीआई की कार्यवाही का मूल

आधार ही समाप्त हो जाता है और 2015 के निर्णय में उसे सही ही अभिखंडित किया गया है। 2015 के निर्णय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संधार्य रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि सीसीआई के पास आक्षेपित जांच करने का कोई अधिकार नहीं है।

<u>दो कानूनों की तुलना में आक्षेपित निर्णय में निष्कर्ष</u>

59. हालाँकि हम पहले ही रिट याचिकाओं की अनुमति दे चुके हैं, लेकिन 2016 के निर्णय और 2020 के निर्णय में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए।

60. वर्ष 2016 के निर्णय के पैरा 172 में निकाला गया निष्कर्ष कि दोनों अधिनियमितियों में कोई अतिव्याप्ति नहीं है तथा सीसीआई के पास वे शक्तियां हैं जो नियंत्रक के पास नहीं हैं, संधार्य नहीं है। वास्तव में, 2016 के निर्णय के पैरा 173 में दिया गया निष्कर्ष कि पेटेंट अधिनियम केवल पेटेंट अधिकारों की रूपरेखा को परिभाषित करता है, जबकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम पेटेंट अधिकारों सहित अधिकारों के दुरुपयोग से निपटता है, भी संधार्य नहीं रह सकता। ऐसा न केवल अध्याय XVI के उपबंधों के कारण है, बल्कि पेटेंट अधिनियम की धारा 48 के प्रारंभिक शब्दों के कारण भी है, जो पेटेंटधारी के अधिकारों को अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन बनाता है।

61. हमारे विचार में, 2016 के निर्णय में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 21 और 21क के उपबंधों के मूल्यांकन में गलती हुई थी। धारा 21क, चाहे इसे अकेले पढ़ा जाए या धारा 62 के साथ संयोजन में पढ़ा जाए, सीसीआई को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक रूप से सशक्त नहीं कर सकती है, जिन्हें नियंत्रक पेटेंट अधिनियम के अध्याय XVI के अंतर्गत प्रयोग करेगा। एक बार जब विधायी आशय स्पष्ट हो जाता है कि पेटेंट अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर अभिभावी होगा, तो उसे प्रतिस्पर्धा (प्रतिस्पर्धा) अधिनियम की धारा 21क के उपबंधों से नहीं बचाया जा सकता। इसकी धाराएं 21 और 21क उन स्थितियों से निपटने के लिए हैं जहां आयोग की शक्तियों को अन्य कानूनों द्वारा अपवर्जित नहीं किया गया है।

62. श्री एन वेंकटरमन, विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया कि सीसीआई के निर्णय सर्वबंधी हैं, जबकि नियंत्रक के निर्णय व्यक्तिगत हैं, 2016 के निर्णय के पैरा 169 में निष्कर्ष का बचाव करने के लिए कि दोनों अधिनियनितियों का परिचालन दायरा अलग-अलग है, और इस प्रकार कोई अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है। हम स्वयं को सहमत होने में असमर्थ पाते हैं।

63. विधायी आशय और वह विषय-वस्तु जिससे दो कानून निपटते हैं, यह पता लगाने का परीक्षण है कि क्या दो कानून एक साथ क्रियान्वित हो सकते हैं। मूल्यांकन का प्रारंभिक बिंदु अनिवार्य रूप से कानूनों का विषय-वस्तु होना

चाहिए। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विषय-वस्तु एक कानूनी प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों के आरोपों और प्रधानस्थिति के दुरुपयोग के आरोपों की जांच है।

64. प्रतिस्पर्धा अधिनियम सामान्यतः इन विषयों से निपटता है, जबकि पेटेंट अधिनियम विशेष रूप से पेटेंट के संदर्भ में इन विषयों से निपटता है। विधानमंडल ने अपने विवेक से, प्रतिस्पर्धा अधिनियम को अधिनियमित करने के बाद, पेटेंट अधिनियम में संशोधन करके अध्याय XVI को शामिल किया है तथा नियंत्रक के आदेशों के प्रभाव को व्यक्तिगत रूप से[14] बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस न्यायालय को इसके औचित्य पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, न ही यह हमें विधायी आशय के विपरीत सीसीआई द्वारा शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देने के लिए प्रेरित करता है।

65. अपील और याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। पक्षकारगण अपना जुर्माना स्वयं वहन करेंगे।

न्या. नजमी वज़ीरी

न्या. विकास महाजन

13 जुलाई, 2023

[14] 1970 अधिनियम के अध्याय XVI के अंतर्गत

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*